BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVII | 31st August 2016 | No. 8

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर में जीएसटी पर संगोष्ठी आयोजित

जीएसटी पर संगोष्ठी का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते डॉ० एम० गोविन्दा राव, सदस्य 14वाँ वित्त आयोग। उनकी दाँयी ओर श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष एवं श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार तथा बाँयी ओर श्री पिनाकी चक्रवर्ती, प्रोफेसर, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान। पीछे पंक्ति में (बाँये से) श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष, श्री शशि मोहन, महामंत्री एवं श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, उपाध्यक्ष।

चैम्बर प्रांगण में दिनांक 15 अगस्त, 2016 को पूर्वाहन् 11 बजे महामंत्री श्री शशि मोहन द्वारा राष्ट्रध्वज फहराकर 70वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास सहित मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के माननीय सदस्यगण काफी संख्या में उपस्थित थे।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 04 अगस्त, 2016 को नई कर प्रणाली जीएसटी के संबंध में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों से विस्तारपूर्वक चर्चा एवं विचार-विमर्श करने हेतु एक संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में चैम्बर सदस्यों के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न भागों के व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया एवं जीएसटी के प्रति उनके मन में जो शंकाएं थी उससे विशेषज्ञों को अवगत कराया। पूरे दिन चली इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ० एम० गोविन्द राव, प्रधानमंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार एवं सदस्य 14वाँ वित्त आयोग, डॉ० पिनाकी चक्रवर्ती, प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली, कामर्शियल टैक्स ट्रिब्युनल के चेयरमैन श्री डी० ए० ए० खान सहित वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी एवं वाणिज्य-कर विभाग के संयुक्त सचिव श्री अरूण कुमार मिश्रा ने भाग लिया।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी एक ऐतिहासिक फैसला है जो व्यवसायियों के हित में हैं। इससे बिहार को फायदा होगा।

इस अवसर पर वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी ने जीएसटी पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए चैम्बर को धन्यवाद देते हुए कहा कि जीएसटी से राज्य के व्यवसायियों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि पूरे देश एक कर प्रणाली होने से उन्हें व्यापार करने में आसानी होगी। इसके विपरीत बिहार जो कि मुख्यत: एक उपभोक्ता राज्य है, को जीएसटी लागू होने से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो पाएगा। उन्होंने चैम्बर से अनुरोध किया कि मॉडल जीएसटी लॉ पर एक कार्यक्रम राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ रखा जाए तथा उनसे प्राप्त फीड बैक को संग्रहित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

इस अवसर पर जीएसटी विशेषज्ञ डॉ० पिनाकी चक्रवर्ती ने अपने व्याख्यान में जीएसटी की मूल धारना से व्यवसायियों को अवगत कराते हुए इसके सकारात्मक पहलूओं पर प्रकाश डाला ।

संगोष्ठी के की-नोट स्पीकर के रूप में डॉ० एम० गोविन्द राव ने विस्तारपूर्वक प्रस्तावित

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

आशानुरूप जीएसटी बिल राज्य सभा से भी पारित हो गया और बिहार सरकार ने भी जीएसटी को दिनांक 16 अगस्त, 2016 को विधान मंडल के दोनों सदनों से पारित कर केन्द्र का साथ दिया। पूरी उम्मीद है कि 01 अप्रैल, 2017 से देश में जीएसटी लागू हो जायेगा। जीएसटी से बिहार को फायदा होगा।

04 अगस्त, 2016 को चैम्बर प्रांगण में जीएसटी पर एक संगोष्ठी बृहत्त रूप में आयोजित हुई जो पूरी सफलता के साथ सम्पन्न हुई। संगोष्ठी की सफलता प्रदान करने में स्थानीय सदस्यों के साथ-साथ राज्य के विभिन्न स्थानों के चैम्बर एवं व्यावसायिक संगठनों से पधारे प्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग रहा। उक्त बैठक में जीएसटी पर गम्भीर चर्चा हुई।

दिनांक 16 अगस्त, 2016 को विभिन्न वस्तुओं पर वैट दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में विधि विभाग द्वारा सरकार के ई-गजट पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसकी प्रभावी तिथि 12 अगस्त, 2016 की गयी है। हमने सरकार से आग्रह किया है कि अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने की तिथि 16 अगस्त, 2016 से प्रभावी किया जाय।

चैम्बर की स्थापना का 90वीं वर्षगांठ का उद्घाटन समारोह 09 सितम्बर, 2016 को चैम्बर प्रांगण में आयोजित होगा। इस समारोह का उद्घाटन देश के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी जी के कर-कमलों से होगा। श्री रामनाथ कोविन्द, महामहिम राज्यपाल, बिहार, श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री एवं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री इस समारोह के अति विशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। आप सभी बन्धुओं से आग्रह है कि समारोह में अधिकाधिक संख्या में पधारने की कृपा करें।

आपका

ओ० पी० साह

डॉ० एम० गोविन्दा राव, सदस्य 14वाँ वित्त आयोग को बुके देकर स्वागत करते श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष।

कर-प्रणाली की रूप-रेखा उसके प्रमुख कारक, समाज, व्यवसाय एवं देश पर इसके प्रभावों, विदेशों में जीएसटी उपरान्त आए बदलाव एवं अर्थ-व्यवस्था पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डाला।

संगोष्ठी में वाणिज्य-कर संयुक्त सचिव श्री अरूण मिश्रा ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से मॉडल जीएसटी लॉ के प्रावधानों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की तथा व्यवसायियों की जिज्ञासाओं एवं शंकाओं का जवाब दिया।

इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं मोतीलाल खेतान, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल, आईसीएआई के चेयरमैन श्री राजेश खेतान, वैट सब-कमिटी के संयोजक श्री डी० बी० गुप्ता,

श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार को बुके देकर स्वागत करते श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष।

श्री पिनाकी चक्रवर्ती, प्रोफेसर, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को बुके देकर स्वागत करते श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष।

श्री अरूण कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार को बुके देकर स्वागत करते श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष।

पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन द्वारा जीएसटी कानून की बारीकियों को बताते हुए श्री अरूण कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य-कर विभाग। उनकी बाँयी ओर क्रमशः श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष, डॉ० एम० गोविन्दा राव, सदस्य 14वाँ वित्त आयोग, श्री पिनाकी चक्रवर्ती, प्रोफेसर, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, श्री डी० ए० ए० खान, चेयरमैन, कॉमर्शियल टैक्सेस ट्रिब्युनल, श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष एवं श्री शशि मोहन, महामंत्री।

सह-संयोजक श्री आलोक कुमार पोद्दार सहित चैम्बर के सदस्य तथा प्रेस एवं मीडिया बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे। चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त समारोह संपन्न हुआ।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष स्व० युगेश्वर पाण्डेय की प्रथम पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

श्रद्धासुमन अर्पित करते श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष। उनकी बाँयी ओर क्रमशः श्री अवधेश नारायण सिंह, माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्, श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, श्री नन्द किशोर यादव, माननीय विधायक, श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष, श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, उपाध्यक्ष, श्री शशि मोहन, महामंत्री, श्री गिरीधारी लाल सराफ, पूर्व उपाध्यक्ष एवं डॉ० रमेश गाँधी, कोषाध्यक्ष।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष स्व० युगेश्वर पाण्डेय की प्रथम पुण्यतिथि 29 अगस्त 2016 को चैम्बर प्रांगण में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष ने श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, श्री अवधेश नारायण सिंह, माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद, श्री नन्द किशोर यादव, माननीय विधायक एवं अध्यक्ष, लोक लेखा समिति तथा श्री श्याम रजक, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के क्रम में सर्वप्रथम श्री बिजय कुमार चौधरी साहब, श्री अवधेश नारायण सिंह साहब एवं नन्द किशोर यादव जी के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने स्व० युगेश्वर पाण्डेय जी की प्रथम पुण्य तिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा में पधारने की कृपा की।

उन्होंने आगे कहा कि स्व० पाण्डेय वर्ष 1975 से चैम्बर के सदस्य रहते हुए राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों की अनवरत सेवा की। उनकी कार्य-कुशलता के आलोक में चैम्बर के सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रथम बार उन्हें चैम्बर के सत्र 1983-84 एवं 1984-85 के लिए उपाध्यक्ष निर्वाचित किया। उन्होंने सत्र 1991-92, 1992-93 तथा 1995-96 एवं 1996-97 में अध्यक्ष के रूप में चैम्बर की बागडोर संभाली। उन्होंने अपने कार्यकाल में व्यवसासियों के प्रति वाणिज्य-कर विभाग के नकारात्मक रबैये का पुरजोर विरोध किया जिसे आज भी व्यवसायी याद करते हैं।

स्व० पाण्डेय जी चैम्बर के पदाधिकारी रहे या न रहे परन्तु चैम्बर के कार्यों के लिए वो सदैव तत्पर रहे, चाहे दिन हो या रात। चैम्बर पदाधिकारियों को हर प्रकार के सहयोग हेतु सदैव तैयार रहते थे। उन्होने अपना अतुलतीय योगदान चैम्बर को दिया। स्व० पाण्डेये जी चैम्बर के बीच ''बाबा'' के नाम से लोकप्रिय थे। हमें उनका सुझाव एवं मार्गदर्शन बराबर मिला। उनकी कमी हमलोगों को बराबर खलती है।

बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधोश नारायण सिंह ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि अपने वर्ष 1983 से उनसे परिचय होने के पश्चात् मैंने सदैव अभिभावक वाला रूप ही देखा जिसमें अथाह प्रेम एवं अपनत्व था। स्व० पाण्डेय जी अपने काम को तपस्या की तरह करते थे। ऐसे महापुरुष बिरले ही मिलते हैं। हम उनके कार्यों को आगे बढ़ायेंगे, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि स्व० पाण्डेय जी से मेरा पुराना और व्यक्तिगत् संबंध था। चैम्बर के कार्यों को आगे बढ़ाने में वे दिन-रात लगे रहते थे। बिहार के उद्यमियों एवं व्यवसायियों में वे 5-7 लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। वे बिहार में व्यवसाय जगत को समाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रथम पीढ़ी में से थे। बतौर चैम्बर अध्यक्ष एवं सदस्य सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने चैम्बर के 90 वर्ष पूरा होने के अवसर पर शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि स्व० पाण्डेय जी की पुण्य तिथि पर यह संकल्प लेना चाहिए कि उनकी सोच और योजनाओं के अनुरूप चैम्बर के कार्यों को आगे बढाएँ।

श्री नन्द किशोर यादव, माननीय विधायक ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि 1982 में जब मैं पटना नगर निगम का उप-महापौर था तभी स्व० युगेश्वर पाण्डेय जी से मेरा संपर्क हुआ। स्व० पाण्डेय वैसे अभिभावक थे जो गलतियों पर बेझिझक होकर स्नेहभाव से टोक दिया करते थे। वे बतौर गार्जियन हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहे।

श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि स्व० पाण्डेय जी चैम्बर के लोकप्रिय अध्यक्ष थे, 1975 में चैम्बर में सक्रिय होने के बाद 1990-92 में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। दो वर्षों बाद अपनी लोकप्रियता के फलस्वरूप ही दुबारा चैम्बर अध्यक्ष चुने गये।

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि चैम्बर में जो भी विशिष्ठ अभ्यागत आते थे तो पाण्डेय जी का भाषण सुनने के बाद कहते थे कि पाण्डेय जी का भाषण सुनने के लिए श्रोता की पंक्ति में होना चाहिए था। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व महान था।

श्री रामलाल खेतान, अध्यक्ष, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्व० पाण्डेय जी को पूरी निर्भीकता से अपनी बात रखने वाला सोशल टीचर बताया। उन्होंने कहा बचपन में उनसे मेरा परिचय बाबा के तौर पर हुआ और व जीवन पर्यन्त मेरे बाबा ही बने रहे।

श्री परसन कुमार सिंह, अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसियेशन ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि स्व० पाण्डेय जी को मैं बाबा कहकर ही संबोधित करता था। चैम्बर और संगठन के बारे में वे बराबर मुझे सच्ची सीख देते थे। उनकी विशेष खासियत थी कि अपनी बात पूरी निर्भीकता और स्पष्टता से कहते थे।

श्री महाबीर प्रसाद विदासरिया ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि बिक्री कर के लिए चैम्बर द्वारा जो आन्दोलन हुआ उसी समय से मेरी उनसे घनिष्टता हुई। उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिला।

श्रद्धांजलि सभा में स्व० पाण्डेय के पुत्र श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व महामंत्री और उनके परिवार के लोग उपस्थित थे।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डा० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री शशि मोहन, चैम्बर के सदस्यगण सहित प्रेस एवं मीडिया के बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे।

चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि ज्ञान एवं संवाद की अद्भुत क्षमता की दृष्टि में स्व० युगेश्वर पाण्डेय जी को यदि 'सरस्वति पुत्र' कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी भी विषय पर बोलने की उन्हें महारत हासिल थी। चैम्बर के एक कार्यक्रम में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ ए० पी० जे० अब्दुल कलाम ने पाण्डेय जी के भाषण को सुना तो काफी प्रभावित हुए। जब महामहिम प्रस्थान करने लगे तो प्रोटोकॉल को तोड़कर पाण्डेय जी से मिले। वे बिहार के उद्योग एवं व्यवसाय की उन्नति के लिए संघर्षशील तो थे ही चैम्बर के मान-सम्मान के प्रति बड़े सजग रहते थे। चैम्बर कर्मचारियों के प्रति भी उनका प्रेम और सहानुभूति अनुकरणीय है। उनके जाने से जो एक शून्यता हुई है वह शायद ही पूरा हो पायेगा। स्व० पाण्डेय जी के प्रति लोगों में अपार सम्मान एवं श्रद्धा थी। अपने उद्‌गार के अन्त में उन्होंने कहा कि **''युगेश्वर पाण्डेय–न भूतो न भविष्यति''**।

उपराष्ट्रपति अंसारी लांच करेंगे चैम्बर की कॉफी टेबुल बुक

नौ सितम्बर को मनेगा चैम्बर का 90वाँ स्थापना दिवस

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के 90 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में नौ सितम्बर को आयोजित कार्यक्रम का उद्‌घाटन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी करेंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर राज्यपाल रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में पावर प्वांइट प्रेजेटेशन के माध्यम से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इतिहास एवं उपलब्धियों को दिखाया जायेगा। साथ ही उपराष्ट्रपति चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉफी टेबुल बुक का लोकार्पण करेंगे। उल्लेखनीय है कि 1951 में सिल्वर जुबली मनाया गया था, जिसका उद्‌घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने किया था। इस मौके पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चार पूर्व अध्यक्ष महाराजा कमल सिंह, पी० के० अग्रवाल, मोती लाल खेतान और पन्ना लाल खेतान को उपराष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। इसके अलावा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दस सबसे पुराने संस्थापक सदस्य और सूबे के दो बड़े उद्यमी अनिल अग्रवाल और संप्रदा सिंह, जिनका राज्य के आर्थिक विकास में योगदान रहा है, उन्हें भी उपराष्ट्रपति मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। तैयारी समिति के संयोजक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री शशि मोहन ने बताया कि चार दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में तीन सेमिनार आयोजित किये जायेंगे, जो पर्यटन, आधारभूत संरचना और पूर्वी भारत की आर्थिक स्थिति पर होगा, जिसका विषय है 'कल, आज और कल'।

(साभार : प्रभात खबर, 13.8.2016)

जीएसटी बिल को विधान मंडल का मिला समर्थन

मुख्यमंत्री ने गिनाईं अपेक्षाएं, कहा– बिहार का ख्याल रखे केन्द्र

बिहार ने 16.8.2016 को जीएसटी बिल पर मुहर लगा दी। विधानमंडल के दोनों सदनों ने इस बिल को मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन करते हुए अपनी अपेक्षाएं गिनाईं। उम्मीद जताई कि केन्द्र सरकार बिहार जैसे उपभोक्ता राज्य का ख्याल करेगी। असम के बाद बिहार दूसरा राज्य है जिसने इस बिल को स्वीकृति प्रदान की है। विधानमंडल के दोनों सदनों में वाणिज्यकर मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने इस संबंध में संविधान (एक सौ बाइसवां संशोधन) विधेयक-2014 को अनुसमर्थन देने के लिए संकल्प पेश किया।

बिहार को होगा यह फायदा : चूंकि बिहार में निर्माण कम होता है, और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की बिक्री अधिक होती है, ऐसे में बिहार को इससे लाभ होगा। जीएसटी लागू होने पर बिहार टेलीकॉम, रेल यात्रा, ऊर्जा आदि पर

> "संसद में पारित इस विधेयक को न्यूनतम 50 फीसद राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। इसलिए यह बिल यहाँ सदन में लाया गया है। अब माल (गुड्स) के साथ-साथ सेवा (सर्विसेज) भी राज्य के दायरे में आ जाएगी।
>
> –नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

सर्विस टैक्स लगा सकेगा। इससे राज्य को अतिरिक्त आमदनी होगी।

बिहार की अपेक्षाएँ : • 1.5 करोड़ रुपये तक के छोटे व्यापार करने वालों को केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं रखा गया है। यह सीमा 1.5 करोड़ से ऊपर की जानी चाहिए। • एक टैक्स की तरह एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी रहे। ऐसा न हो कि वाणिज्यकर के लिए केन्द्र सरकार हर जिले में अपना कार्यालय खोल दे। राज्य सरकार केन्द्र को उसका हिस्सा खुद दे देगी। • जिस राज्य में माल खपत हो, उस राज्य को टैक्स मिले, बैंक, रेलवे, टेलीकाम, ऊर्जा कंपनी आदि को इस प्रकार साफ्टवेयर से जोड़ा जाए कि राज्यों को वाजिब टैक्स मिले।

क्या होगा बदलाव : • बहुत सारे व्यापार टैक्स नेट में नहीं थे, वे भी अब टैक्स के दायरे में आएंगे। • दो नंबर के कारोबार पर रोक लगेगी, काला धन अर्जित करने पर अंकुश लगेगा। • किस वस्तु का कहां निर्माण हुआ, और वह कहाँ बिकी, यह पता चल जाएगा। • जिस राज्य में वह वस्तु बिकेगी, उस राज्य में टैक्स कट जाएगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 17.8.2016)

जीएसटी से आएगी पारदर्शिता : मुख्यमंत्री

बिहार विधानमंडल के सदनों में जीएसटी बिल का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पहले सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार के पास था। उन्होंने जीएसटी से होने वाले फायदों को गिनाते हुए कहा कि पहले पारदर्शिता नहीं थी। जीएसटी के लिए जो नया साफ्टवेयर बनेगा, उससे पारदर्शिता आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्दीय वितमंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल का गठन होगा और इसमें सभी राज्य भी सदस्य रहेंगे। किसी भी फैसले के लिए केन्द्र सरकार के पास 33 प्रतिशत और राज्यों के पास 66 प्रतिशत वोट होंगे। कोई भी फैसला न्यूनतम 75 फीसद वोट के बिना नहीं लिया जा सकेगा। ऐसे में अगर किसी प्रस्वाव पर कुछ राज्य असहमत होंगे तो वह पारित नहीं हो सकेगा। इसी आधार पर पिछले दस सालों से जीएसटी को हमारा समर्थन है। हमने टैक्स की अधिकतम सीमा निर्धारण (कैपिंग) का विरोध किया था। मुझे खुशी है कि केन्द्र सरकार ने हमारी इस बात को मान लिया। हम जब बिहार में भाजपा के साथ थे, तब भी जीएसटी के पक्ष में थे, और जब भाजपा से अलग हैं तो भी जीएसटी के साथ हैं।

विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बिल के सर्वसम्मति से पारित होने की घोषणा की।

(साभार : दैनिक जागरण, 17.8.2016)

बिहार में जीएसटी पास होने पर चैम्बर अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

"बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ० पी० साह ने जीएसटी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जीएसटी बिल पास होने के बाद बिहार विधान सभा और विधान परिषद ने इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस बिल से उपभोक्ता राज्यों के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। लेकिन साथ ही साथ ही साथ जीएसटी बिल में सेवा क्षेत्रों एवं छोटे व्यवसायियों को राहत देने की आवश्यकता है। इसके अलावा दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखने की जरूरत है।" **(साभार : प्रभात खबर, 17.8.2016)**

"जीएसटी यानी एक देश एक टैक्स। इससे राज्य के उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा क्योंकि पूरे देश में कर एक समान होगा। खाने-पीने की वस्तुओं को इसके दायरे से बाहर रखना चाहिए।"

– **ओ. पी. साह,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(साभार : दैनिक जागरण, 15.8.2016)

"इससे कंज्यूमर को लाभ होगा। लेकिन छोटे व्यापारियों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखना होगा। हालांकि अभी रेट तय नहीं है। इसे देखने के बाद ही इसके बारे में व्यापक कुछ कहा जा सकता है।"

– **ओ. पी. साह,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(साभार : आईनेक्स्ट, 17.8.2016)

वैट दरों में वृद्धि संबंधी गजट अधिसूचना पर सरकार करे पुनर्विचार - चैम्बर अध्यक्ष

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 16 अगस्त 2016 को विभिन्न वस्तुओं के वैट दरों में वृद्धि के संबंध में विधि-विभाग द्वारा बिहार सरकार के ई-गजट पोर्टल पर अपलोड गजट अधिसूचना जिसकी प्रभावी तिथि 12 अगस्त 2016 की गई है, पर पुनर्विचार करते हुए इस अधिसूचना को सार्वजनिक किए जाने की तिथि दिनांक 16 अगस्त 2016 से प्रभावी करने का अनुरोध किया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने बताया कि वैट की दरों में वृद्धि के संबंध में बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2016 को निर्णय लिया गया था जिसकी गजट अधिसूचना संख्या एल० जी० - 01-11-2016/148 दिनांक 12 अगस्त 2016 के द्वारा अधिसूचित किया गया है। लेकिन अधिसूचना बिहार सरकार के ई-गजट पोर्टल पर 16 अगस्त 2016 को अपराह्न में अपलोड किया गया है और जिसे 12 अगस्त 2016 की तिथि से प्रभावी किया गया है। इस सन्दर्भ में चैम्बर ने पूर्व में भी विभाग का ध्यान अपने पत्र संख्या 87 दिनांक 1 फरवरी 2016 द्वारा आकर्षित किया था और विभागीय पदाधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अधिसूचना की तिथि से ही नई दरों पर करारोपण किया जाएगा।

श्री साह ने बताया कि वाणिज्य-कर विभाग ने वैट की अनुसूची-III में आने वाले सभी सामग्रियों के कर की दर को पाँच प्रतिशत से बढ़ाकर छः प्रतिशत किया है एवं अनुसूची से बाहर की वस्तुएं जिन पर 14.5% था से बढ़ाकर 15% कर दिया है। डेवलपर एवं निर्माण आदि से जुड़े व्यवसायियों के लिए वैट के अन्तर्गत नये कर के आरोपण तथा इस व्यवसाय के पूर्व से निर्बाधित डीलरों के कर दायित्व की गणना में नई शर्त्तों को जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि भूतलक्षी प्रभाव से कर की दर को बढ़ाया जाना जिसमें अनुसूची-III जैसे सामग्रियाँ का बहुत बड़ा वर्ग भी शामिल है राज्य के अधिकतर व्यवसायियों को प्रभावित करेगा। इससे व्यवसायियों को आर्थिक नुकसान एवं विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा साथ ही व्यवसायी कानून के उल्लंघन के दोषी भी ठहराए जा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि वाणिज्य-कर अधिकारियों ने सदैव ही यह आश्वासन दिया है कि कर की दरों में वृद्धि आदि के आदेश इनके लागू किए जाने की तिथि से ही प्रभावी किए जाएंगे परन्तु स्थिति इसके ठीक विपरीत है जो कि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि डेवलपर आदि से संबंधित आदेश की तुरंत समीक्षा कर उसे व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। क्योंकि यदि इन व्यवसायियों को टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो रियल स्टेट की कीमत में काफी वृद्धि होगी और इसका प्रतिकूल प्रभाव आम उपभोक्ता पर पड़ेगा।

चैम्बर अध्यक्ष ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि उक्त गजट अधिसूचना पर पुनर्विचार करते हुए इसमें आवश्यक संशोधन कर अधिसूचना सार्वजनिक किए जाने की तिथि से ही इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ऐसे आदेशों के संबंध में इस नॉर्म का भी सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए कि ऐसे आदेश कभी भी भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित नहीं किए जाए।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

21 श्रावण 1938 (श.)

(सं. पटना 665) पटना, शुक्रवार, 12 अगस्त 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

12 अगस्त 2016

सं. एल. जी. 01-11/2016/148/लेज: I- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 11 अगस्त 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016

(बिहार अधिनियम 10, 2016)

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का संशोधन करने हेतु विधेयक।

भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्निलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। - (1) यह अधिनियम बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का धारा- 2 में संशोधन। - बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा- 2 के खंड- (ट) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड- (टट) अंत: स्थापित किया जाएगा-

"(टट) 'डेवलपर' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति/ संवेदक बिल्डर जो पूर्णत: या आंशिक रूप से, (या तो स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से) बिक्री के उद्देश्य से, वाणिज्यिक या अन्यथा, सिविल संरचनाओं, फ्लैट्स, रिहायशी इकाईयों, भवन, परिसरों, भवन-समूहों, के विनिर्माण में संलग्न एवं प्रवृत्त हैं और क्रेता को किसी खास करार के अनुसरण में, भूमि अथवा भूमि में अन्तर्निहित हित को हस्तान्तरित करते हैं, जहाँ भूमि अथवा भूमि में अन्तर्निहित हित का मूल्य प्राप्त अथवा प्राप्य कुल प्रतिफल में शामिल है।"

3 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा - 14 में संशोधन। - (1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा - 14 की उप-धारा (1) के खंड- (ख) में प्रयुक्त शब्द "पाँच प्रतिशत" शब्द "छ: प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा- 14 की उप- धारा (1) के खंड- (खख) में प्रयुक्त शब्द "चार प्रतिशत" शब्द "पाँच प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(3) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) के साथ उपाबद्ध अनुसूची- III का क्रमांक 55 एवं इसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ एतद् द्वारा विलोपित की जाती हैं।

(4) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) के साथ उपाबद्ध अनुसूची- III क में एक नया क्रम संख्या- 1 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नवत् जोडी जाएंगी, यथा:-

"1. अधिनियम के साथ संलग्न किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु के सिवाय केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा- 14 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुएँ।"

(5) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा- 14 की उप-धारा (1) के खंड- (घ) में प्रयुक्त शब्द "साढ़े चौदह प्रतिशत" शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

4. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में धारा-15 ग का अन्त:स्थापन। - बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005(अधिनियम 27, 2005) की धारा- 15 ख के बाद निम्नलिखित एक नयी धारा- 15 ग जोड़ी जाएगी:-

"15 ग. डेवलपर के मामले में करदायित्व का समाहितीकरण– इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, एवं इस बावत बनाये गये नियमों के अधीन, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जो अधिसूचना के माध्यम से विहित किये जायँ, किसी डेवलपर को अधिनियम के अधीन उसके द्वारा भुगतेय कर के बदले, पाँच प्रतिशत से अनधिक दर पर जैसा कि अधिसूचना में विहित किया जाय, कर के समाहितीकरण के रूप में, करार में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण कुल राशि या उक्त करार के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट मूल्य, जो भी उच्चतर

हो, के भुगतान की अनुमति दे सकेगी।"

5. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा- 35 में संशोधन।- (1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा- 35 की उप- धारा (1) के खंड- (ग) के क्रमांक - (IX) के बाद निम्नलिखित एक नया क्रमांक- (X) जोड़ा जाएगा:-

"(X) डेवलपर के मामले में भूमि का मूल्य जैसा कि विहित रीति से विनिर्दिष्ट किया जाय।"

(2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-35 की उप-धारा (1) के खंड- (ग) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड- (गग) जोड़ा जाएगा:-

"(गग) खंड- (ग) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ संवेदक यथोचित लेखा-पुस्त का संधारण नहीं करता है अथवा उनके द्वारा संधारित लेखा-पुस्त से श्रम एवं अन्य सेवाओं एवं अन्य सेवाओं एवं खंड-(ग) में उल्लेखित अन्य मदों के प्रभार में किये गये वास्तविक खर्च का आकलन नहीं हो, कार्यसंविदा अथवा इसके किसी भाग के मूल्य के संबंध में, श्रम एवं अन्य सेवाओं और ऐसे मद के प्रभार की राशि, कटौती के उद्देश्य से, ऐसे प्रतिशत के आधार पर विनिश्चित होगी, जो इस निमित विहित की जाय।"

6. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा- 36 में संशोधन।- (1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा- 36 में शब्द एवं अंक "बी से धारा- 16 या धारा- 17 के अधीन व्यौहारी को अनुज्ञेय निवेश कर के प्रतिदाय की कुल रकम अभिप्रेत है" के बाद प्रयुक्त 'पूर्ण विराम' को 'कोलन' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा और निम्नलिखित एक परन्तुक जोड़ा जाएगा:-

"परन्तु कोई व्यौहारी, जिसपर धारा- 35 की उप-धारा (1) का खंड- (गग) लागू होता हो, के कराधेय आवर्त्त पर भुगतेय कर 10 प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा।"

7. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा- 41 में संशोधन।- (1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा- 41 की उप-धारा (1) में प्रयुक्त शब्द "पाँच प्रतिशत" शब्द "आठ प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव

आर्थिक रूप से कमजोर युवतियों को स्वावलंबी बनाने में जुटा चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार कर रहीं एक हजार महिलाएँ

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान से लगभग एक हजार युवतियाँ व महिलाएँ प्रशिक्षण प्राप्त कर कई महिलाएँ आज स्वरोजगार कर रही है और पूरी तरह स्वावलंबी बन कर समाज में मिसाल कायम की है और सैकड़ों महिलाएँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। ये युवतियाँ और महिलाएँ आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं जो घर का काम निपटाने के बाद हर दिन प्रशिक्षण प्राप्त करने आती हैं। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 10 फरवरी 2014 में आर्थिक रूप से कमजोर युवतियों व महिलाओं को कौशल विकास एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई-कटाई, मेहंदी एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्यक्रम नि: शुल्क शुरू किया जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम है। चैम्बर ने अपने परिसर में एक नि: शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र, आधार महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जिसकी समन्वयक गीता जैन है। साथ ही चैम्बर ने सिलाई मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर सहित आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराया है। इस प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन बिहार चैम्बर आफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल ने 8 फरवरी 2014 में किया था। इसके प्रथम बैच का प्रशिक्षण 10 फरवरी 2014 से शुरू हुआ। इस बैच में 68 युवतियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वहीं कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन केन्द्रीय कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने 14 अप्रैल 2015 में किया था। महिलाओं को सिलाई-कटाई के प्रशिक्षण के दौरान 12 तरह की सिलाई का प्रशिक्षण दिना जाता है जिसमें जांघिया, छह और चार कली का पेटी कोट, सिंपल प्राक, बेबी फ्राक, तकिया कवर, बेबी पैंट, नाइटी, पैजामा, ब्लाउज, सलवार व समीज आदि शमिल हैं। वहीं कंप्यूटर प्रशिक्षण में कंप्यूटर का बेसिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें एक्सल, टेली, नेटवर्किंग से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा सावन के मौके पर मेहंदी लगाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रशिक्षिकाओं को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से मानदेय दिया जाता है।

सिलाई प्रशिक्षण का 10वां बैच मई में शुरू हुआ है जो जुलाई तक चला। इस बैच में 70 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। नया बैच शीघ्र शुरू होगा। वहीं कंप्यूटर प्रशिक्षण का छठा बैच जुलाई में शुरू हुआ है जो सितम्बर तक चलेगा। इस बैच में 45 महिलाएँ प्रशिक्षण ले रही है। हर बैच में दो पालियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो दो घंटे का होता है। अब तक सिलाई-कटाई में 585, कंप्यूटर में 213, मेहन्दी में 132, क्वीलट बैग में 60 महिलाएँ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है।

क्या करना होता है : प्रशिक्षण लेने के लिए संस्थान में नामांकन लेना पड़ता है। इसके लिए हर तीन माह पर आवेदन लिया जाता है। यह आवेदन पत्र कौशल विकास संस्थान, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, खेमचंद चौधरी मार्ग अंटा घाट से प्राप्त कर किया जा सकता है।

इस साल का लक्ष्य 16 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना है

केन्द्र एवं राज्य सरकार का कौशल विकास पर काफी ध्यान है। अगले पाँच सालों में राज्य में एक करोड़ लोगों को कौशल विकास का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष का लक्ष्य 16 लाख है।

– ओ. पी. साह, अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

मेहंदी लगाने के प्रशिक्षण के दौरान मेहंदी लगाने की तकनीक और डिजाइन पर ध्यान दिया जाता है। खासतौर पर दुल्हन मेहंदी लगाने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे लगन के मौके पर दस-पंद्रह हजार कमा सकें।

– पूनम जैन, प्रशिक्षिका, मेंहदी

कंप्यूटर ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों को डीसीए सिखाया जाता है। इनमें एक्सल, टेली, प्रिंटिंग, स्कैनिंग की जानकारी मुख्य रूप से दी जाती है। कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त कर यह रोजगार प्राप्त कर सकती है।

– चांदनी रानी, प्रशिक्षिका, कंप्यूटर

कंप्यूटर प्रशिक्षण के दौरान लड़कियाँ को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाती है। इस कोर्स में ऐसी लड़कियाँ है, जो इंटर और बीए कर रही है।

– श्वेता, प्रशिक्षिका, कंप्यूटर

युवतियों को इन दिनों चल रहे फैशन के अलावा परंपरागत सिलाई के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वे प्रशिक्षण के बाद वे घर बैठे आमदनी कर सके।

– ममता सिन्हा, प्रशिक्षिका, सिलाई-कढ़ाई

यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर कई महिलाएँ आज स्वरोजगार कर रही है। केन्द्र में जूडो एवं स्पोकेन इंगलिश क्लास शुरू करने की तैयारी चल रही है।

– माधवी सेन गुप्ता, प्रभारी, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र

(साभार : प्रभात खबर, 13.8.2016)

मुख्यमंत्री ने अरविन्द पनगढ़िया को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया को पत्र लिख कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। पाँच पन्नों के अपने पत्र में नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार ने न्याय के साथ विकास के मॉडल पर चल कर अपने बल पर डबल डिजिट में विकास दर हासिल की है। लेकिन, जब तक बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विशेष सहायता, विशेष दर्जा और नीतिगत मदद नहीं की जायेगी, देश पूरी तरह विकसित नहीं हो पायेगा। उन्होंने टिकाऊ विकास और एजेंडा, 2030 की चर्चा करते हुए कहा कि देश की आबादी का कुल आठ प्रतिशत बिहार में है लेकिन, राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी का महज तीन प्रतिशत ही हिस्सेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने दम पर किये जा रहे कार्य के बावजूद बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी राष्ट्रीय

औसत से आधे से भी कम है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के हिसाब से भी अन्य राज्यों से बिहार पीछे है। लगभग सभी क्षेत्रों में दो अंकों में बिहार ने आर्थिक विकास दर हासिल की है। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, मेघालय, यूपी सबसे कम विकास दर वाले राज्यों में सूचीबद्ध है। इन राज्यों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सकारात्मक राजनीतिक पहल की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी को 60:40 की जगह 90:10 या 75:25 करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र के नये फार्मूले से राज्यों पर केन्द्रीय योजनाओं का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह शत-प्रतिशत केन्द्रीय योजना है। इसमें बिहार सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। उन्होंने नीति आयोग पर बिहार कम्पलेक्स से बाहर निकलने का आहवा्न करते हुए कहा कि हमने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री समेत लगभग सभी फोरम पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मसला उठाया। लेकिन, 104 मिलियन बिहारियों की भावना का ख्याल कहीं नहीं रखा गया। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है कि एसडीजी को प्राप्त करने के लिए मौलिक परिवर्तन जरूरी है। नीति आयोग भारत में बड़े बदलाव के पक्ष में है। मैं इस संदर्भ में आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार ने अनेक परिवर्तनकारी कदम उठाये हैं। हमने गुड गवर्नेस 2015-2020 शुरू किया है। इसमें बिहार विकास मिशन, आपदा जोखिम कमी रोड मैप 2015-2030, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण, महिलाओं के स्वयं सहायता ग्रुप के लिए जीविका कार्यक्रम, पूर्ण नशाबंदी तथा पात्रता और पुनर्वास आधारित कार्यक्रम, हमारे सात संकल्प शामिल हैं। इनके अलावा बिहार के नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए हमने लोक सेवा का अधिकार तथा लोक शिकायत निवारण कानून लागू किये हैं। इन सभी परिवर्तनकारी उपायों को पूरा करने के लिए राज्य को बहुत बड़े आर्थिक स्रोत की आवश्यकता है, किन्तु अब तक केन्द्र सरकार से निराशाजनक प्रतिक्रिया मिली है। एसडीजी और एजेंडा 2030 केन्द्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी तय करने का अवसर देता है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि नीति आयोग बिहार की भावनाओं का ख्याल रखेगा व स्पेशल पैकेज देने पर विचार किया जायेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 14.8.2016)**

प्रवासी भारतीयों ने किया निवेश का वादा

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लंदन में व्यवसाय करने वाले प्रवासी भारतीयों से मुलाकात कर बिहार में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने वहाँ व्यवसाय कर रहे भारतीयों को राज्य सरकार की नीति से अवगत कराया। साथ ही कहा कि बिहार में व्यवसाय करना सबसे आसान है। वहाँ की औद्योगिक नीति निवेश फ्रेंडली है। लंदन में व्यवसाय कर रहे भारतीयों ने उपमुख्यमंत्री को कई क्षेत्रों में निवेश का आश्वासन दिया। मुख्यत: शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरिज्म, स्पोर्ट्स एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विगत वर्षों में सकल घरेलू राज्य उत्पाद में बिहार शीर्ष पर पहुँच गया है। तमाम विकसित राज्यों को पछाड़ते हुए बिहार ने 15.6 प्रतिशत विकास दर हासिल किया है। राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट्स और सात निश्चयों पर काम कर रही है।

इस अवसर पर ब्रिटेन में फुटबाल फॉर यूनिटी के संस्थापक चरनजीत गिल एवं साउथ हॉल फुटबाल क्लब के प्रबंधक निदेशक व लंदन के साउथ हाल संसदीय क्षेत्र से ब्रिटिश लेबर पार्टी के सांसद बीरेन्द्र शर्मा के पुत्र ने उपमुख्यमंत्री से बिहार में फुटबाल अकादमी खोलने की योजना पर चर्चा की।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.8.2016)

शहरों में बुनियादी सुविधाओं पर दिया जाएगा खास ध्यान

बिहार सरकार ने राज्य के शहरों में नगरीय सुविधा देने की तैयारी तेज कर दी है। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्दी ही इस बाबत एक योजना की शुरुआत करने वाले हैं जिसके तहत हर घर तक पक्की गली, शुद्ध पेयजल, सीवरेज और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना पर राज्य सरकार ने अगले चार साल में करीब 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का फैसला लिया है। यह योजना मुख्यमंत्री के 'सात निश्चयों' में से एक है। राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते मुख्यमंत्री अपनी इस महत्त्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास कर सकते हैं, लेकिन अब तक इस बाबत मुख्यमंत्री कार्यालय से सहमति नहीं मिली है। वैसे, नगर विकास विभाग ने इस बारे में सभी जिला प्रशासनों को 15 अगस्त तक हर हालत में अपनी कार्य योजना को तैयार रखने के लिए कहा है। इस योजना को विभाग अपनी वेबसाइट पर डालेगा, ताकि आम लोगों को इस बारे में आसानी से जानकारी मिल सके। राज्य सरकार ने अगले 4 साल में सभी घरों तक पक्की सड़क, बिजली, पेयजल, सीवरेज और शौचालय सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया है। **(सा.: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 13.8.16)**

कोसी-मेची समेत बिहार की पाँच परियोजनाओं को मंजूरी

केन्द्र ने बिहार की कोसी-मेची लिंकिंग नदी जोड़ योजना समेत पाँच बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बताया कि केन्द्रीय जल आयोग की एडवाइजरी कमेटी ने बिहार की पाँच हजार करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं पर अपनी सहमति दे दी है। मध्यप्रदेश की केन-बेतवा नदी जोड़ योजना की तर्ज पर कोसी-मेची नदी जोड़ को भी सैद्धांतिक सहमति दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति की प्रत्याशा में इसे मंजूरी दी गई है। कमेटी की इस सैद्धांतिक सहमति के बाद राज्य की पहली नदी जोड़ योजना की बड़ी बाधा दूर हो गई है। इसके बाद नवम्बर तक परियोजना को औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी।

परियोजना : • **कोसी-मेची लिंकिंग योजना** : लागत 4900 करोड़, **लाभान्वित जिला** : अररिया, पुर्णिया, किशनगंज, कटिहार, **क्षेत्र** : 2, 10,516 हेक्टेयर • **रातो नदी बाढ़ प्रबंधन योजना** : लागत 109.84 करोड़ **लाभन्वित जिला** : सीतामढ़ी, **क्षेत्र** : 6000 हेक्टेयर • **पत्थर टोला से कमलाकानी तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य** : लागत 57.96 करोड़, **लाभान्वित जिला** : कटिहार, क्षेत्र : 52000 हेक्टेयर • **हरदेव टोला से खट्टी के बीच कटाव निरोधक कार्य** : लागत 65.67 करोड़, **लाभान्वित जिला** : कटिहार, क्षेत्र : 109.10 हेक्टेयर • **अहरौलीदान बांध से बेतिया, गोपालगंज पुल तक तटबंध** : लागत 53.85 करोड़, **लाभान्वित जिला** : गोपालगंज, क्षेत्र : 2000 हेक्टेयर **5187** करोड़ परियोजना लागत • **270625** हे। लाभान्वित क्षेत्र • **जिले** : अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सीतामढ़ी, गोपालगंज

बिहार की मांग, राष्ट्रीय योजना बने कोसी-मेची : जल संसाधन मंत्री ललन सिंह ने कहा कि बिहार कोसी-मेची योजना को राष्ट्रीय योजना में शामिल करने की मांग केन्द्र से करेगा। केन्द्र सरकार के मानक के अनुसार दो लाख हेक्टेयर से अधिक क्षमता वाली सिंचाई परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत होता है। कोसी-मेची लिंकिंग योजना से 2.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। ऐसे में इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकृत होने पर 90 फीसदी राशि केन्द्र देता है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 10.8.2016)

खादी के नाम पर चल रही निजी दुकानों पर होगा केस

खादी के नाम पर अवैध रूप से चल रही निजी दुकानों पर कार्रवाई होगी। गड़बड़ी दिखी तो उनपर एफआईआर भी हो सकती है। खादी ग्रामोद्योग आयोग, पटना ने इसके लिए उद्योग मंत्रालय को चिट्ठी भेजकर इस बाबत स्वीकृति मांगी है।

आयोग ने उद्योग विभाग के निदेशक को भी पत्र लिखकर उन सभी पर कार्रवाई करने को कहा है। आयोग का मानना है कि पटना में लगभग 20 और पूरे प्रदेश में 100 से अधिक खादी के नाम पर निजी दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं।

आयोग के निदेशक एसके गुप्ता ने बताया कि हाथ से कटा धागा और हाथ से बुना कपड़ा ही खादी मानी जाती है, लेकिन बिहार में खादी के नाम से चल रही निजी दुकानों में हैंडलूम और मिल के कपड़े बिकते हैं। जो खादी में शामिल नहीं होते हैं। खादी के कपड़े केवल खादी ग्रामोद्योग के भवन में मिलेंगे या आयोग द्वारा निर्बंधित रजिस्टर्ड भवन में ही मिलेंगे। इन दुकानों में मिलने वाले कपड़ों पर सभी प्रकार के कर की छूट रहती है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 15.8.2016)**

एथेनॉल पर उत्पाद शुल्क छूट वापस

केन्द्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन पर चीनी मिलों को दी गई उत्पाद शुल्क छूट वापस ले ली है। चीनी की कीमतें सुधरने से चीनी मिलों के पास नकदी आपूर्ति बढ़ने के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। उत्पाद शुल्क में 12.5 प्रतिशत छूट से चीनी मिलों को एथेनॉल की पूर्व निर्धारित कीमत 48.5-49.5 रुपये प्रति लीटर पर करीब 5 रुपये का फायदा होता था। अब सरकार के इस फैसले से चीनी मिलें खुश नहीं हैं, क्योंकि इनका कहना था कि इस तरह अचानक छूट वापस लेने से उनकी वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। मिलों के अनुसार सत्र 2015-16 में उत्पादित एथेनॉल की ज्यादातर मात्रा की आपूर्ति के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ अनुबंध छूट को ध्यान में रखते हुए किया गया था। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 13.8.2016)**

टैक्स टेरेरिज्म हुआ खत्म, अब ग्राहक ही होगा राजा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में जीएसटी पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल का मतलब 'ग्रेट स्टेप्स बाय टीम इंडिया' है। यह बिल साबित करेगा कि आखिरकार कंज्यूमर ही किंग होगा। बिल देश की गरीबी से लड़ने के लिए गरीबों की फौज की मदद करेगा। इसलिए बिल के तहत गरीबों के काम आने वाली चीजों को कर के दायरे से बाहर रखा जा रहा है। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए सभी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया। **(साभार : आईनक्स्ट, 9.8.2016)**

जीएसटी से राज्यों के अधिकार कम नहीं होंगे

वित्तमंत्री ने लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष की आशंकाओं को दूर किया, कहा-इससे केन्द्र, राज्य को मजबूती मिलेगी

केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर कानून बना सकेंगे : यह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक है। इससे केन्द्र और राज्य कर से जुड़े मामलों में मिलकर कानून बना सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अब तक राज्य सरकार बिक्री कर की दर तय करती थी, लेकिन अब केन्द्र या राज्य या फिर दोनों मिलकर इसकी दर तय कर सकेंगे।

विधेयक में तीन अहम संशोधन : • 1% अंतरराज्यीय लेनदेन पर कर हटा, विनिर्माण वाले राज्यों को घाटे की भरपाई के लिए लगा था • 5 साल तक राज्यों को नुकसान की भरपाई की जाएगी, जीएसटी कानून लागू होने के बाद • जीएसटी परिषद विवादों के निपटारे के लिए एक स्थायी तंत्र की स्थापना करेगी

अब आगे क्या : • लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा • 30 दिनों के भीतर राज्यों से इसकी मंजूरी के लिए कहा जाएगा • 15 राज्यों की कम से कम सहमति लेनी होगी इस विधेयक पर • 14 राज्यों में भाजपा या उसके गठबंधन वाली सरकार अभी • केन्द्र सरकार केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और समेकित जीएसटी (आईजीएसटी) बिल पास कराएगी • संसद के शीतकालीन सत्र में ये विधेयक आने की संभावना • राज्यों को भी राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का कानून लाना होगा • अप्रैल 2017 से जीएसटी देश भर में लागू करने का लक्ष्य।

इसमें कुछ आशंकाएं भी : • जीएसटी की अधिकतम दर तय की जानी चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा कर न लगे • जीएसटी परिषद को भी इस बिल का हिस्सा न बनाने से कोर्ट में चुनौती मिलेगी • फोन बिल, रेस्तरा, बीमा जैसी सेवाएँ महंगी होगी, सेवा कर से उल्टा असर पड़ेगा • जीएसटी परिषद में करों की दर तय करने में केन्द्र सरकार का वीटो पॉवर होगा।

जीएसटी क्या : जीएसटी एक समान अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था है। इसके लागू होने के बाद करों पर लगने वाले कर खत्म होंगे। साथ ही सकल घरेलू उत्पाद दर (जीडीपी) में करीब दो फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

क्या फायदा : • देश भर में वस्तुओं और सेवाओं पर समान कर • 20 से ज्यादा अप्रत्यक्ष कर खत्म हो जाएंगे • इनमें सीमाशुल्क, सेवा कर, वैट /बिक्री कर, मनोरंजन कर, लॉटरी कर आदि शामिल

अभी क्या होता है : • अभी हम अलग-अलग सामान पर 30 से 35 फीसदी कर देते हैं • जीएसटी में यह दर 17 से 18 फीसदी रहने की उम्मीद

यहाँ नुकसान : • सेवाओं पर कर 15 से 18 फीसदी होगा • रिटेल पर कर लगभग दौगुना हो जाएगा

इनपर असर नहीं : • पेट्रोल डीजल, गैस, शराब • स्टांप ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी • बिजली की खपत

राज्यों और केन्द्रों को क्या मिलेगा :

मान लें कि जीएसटी की दर 18% है तो केन्द्रीय जीएसटी(सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) में 9-9% का बंटवारा होगा।

जानने योग्य :

सस्ता : • छोटी कारें, दोपहिया वाहन, सिनेमा टिकट • सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान

महंगा : • बाहर खाना, हवाई यात्रा, बीमा प्रीमियम महंगा होगा • टेक्सटाइल, ब्रांडेड ज्वेलरी, फोन बिल, सिगरेट महंगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 9.8.2016)

राज्यों को ज्यादा राजस्व तो उपभोक्ताओं को करों में राहत

• उपभोक्ता पर तमाम तरह के करों का बोझ घटेगा • उद्योग-व्यापार के लिए लागत कम होगी, पालन भी आसान

देश में सभी तरह के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर लागू होने वाला जीएसटी न केवल राज्यों के राजस्व को बढ़ाने में सहायक होगा, ऐसा होने के बाद उपभोक्ताओं पर भी करों का समग्र बोझ कम हो जाएगा। इतना ही नहीं इसे लागू करने में आने वाली लागत कम होने से उद्योगों को भी लाभ होगा।

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि देश में जीएसटी लागू हो जाने के बाद तिहरा फायदा होगा। मूल रूप से इससे तीन वर्ग प्रभावित होंगे जिन्हें इसका लाभ मिलना है। पहला उद्योग जगत और कारोबारी वर्ग, दूसरा इसे लागू करने वाली केन्द्र और राज्य सरकारें और तीसरा देश का उपभोक्ता समूह। हालांकि विपक्ष का मानना है कि ऐसा तभी हो पाएगा जब राज्य और केन्द्रीय जीएसटी कानून का मसौदा तैयार करने वाली जीएसटी काउंसिल स्पष्ट कानून तैयार करे।

सरकार मान रही है कि इस कानून का सबसे बड़ा लाभ उपभोक्ताओं को होगा। जीएसटी लागू होने के बाद मैन्यूफैक्चरिंग उत्पाहों के दाम नीचे आएंगे क्योंकि इस पर लगने वाले सभी कर जीएसटी में समाहित हो जाएंगे और निश्चित ही इसकी दर मौजूदा करों की समग्र दर से नीचे रहेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी स्वीकार किया कि इस कानून का संदेश ही यही है कि उपभोक्ता राजा होगा।

इस कानून का लाभ लेने वालों में दूसरा नंबर कारोबार करने वालों और उद्योग जगत का है। इसका व्यापक आइटी सिस्टम पंजीकरण से लेकर टैक्स का भुगतान और रिटर्न दाखिल करने जैसी सभी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 9.8.2016)

GOVT. SET TO SCRAP POST OF MEDIATORS IN TAX ROWS

Tax ombudsmen may be a thing of the past. The government is reviewing the set up and may scrap the post as it has found few takers.

Ombudsmen were appointed to deal with taxpayer complaints on the recommendations of a committee comprising top revenue department officials. But, clearly things have changed since then.

"There are several alternate mechanisms that have come up, since the scheme was conceived a few years ago and the results of the ombudsman mechanism are not too satisfactory," said an official. In addition, officials said, several of the processes such as refunds have

NOT ENOUGH TAKERS

Indirect Tax Ombudsmen in last 9 months

	*Avg. No. of New Application	*Avg. No. of Case Disposal
Delhi	3	3
Mumbai	4	3
Chennai	5	1
Bengaluru	1	1

I. T. Ombudsmen in last 9 months

	*Avg. No. of New Application	*Avg. No. of Case Disposal
Delhi	48	52
Mumbai	54	41
Chennai	21	25
Pune	9	13
Lucknow	13	17
Hyderabad	12	18
Ahmedabad	17	14

*Per Month

been streamlined, resulting in few complaints recent years, chief commissioners have set up grievance cells and a Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) has also been set up at the behest of the Prime Minister's Office. In addition, social media has become an important platform through which the tax department is receiving feed back.

Data collected by the Finance Ministry showed that over the last nine months, seven ombudsmen in the top cities across the country received 174 applications with cities such as Delhi receiving an average of three applications a month, with Bangalore getting just one. Disposal of complaints has, however, not been an issue. But the view seems to be that there is not much work for offices manned by additional secretary rank officers.

"There is a lot of expenditure that goes into this but the results are not commensurate," said an official. There are 10 such offices across the country. Under the rules, a taxpayer could approach an ombudsman with grievances such as delayed refunds, or envelopes without refund vouchers, delay in issuing PANS, etc.

(Source : The Times of India, 13.08.2016)

10 हजार की ऑनलाइन शॉपिंग शुरू

बिहार में 10 हजार से अधिक के सामान की ऑनलाइन शॉपिंग फिर से शुरू हो गई है। वाणिज्य कर विभाग ने कुरियर कंपनियों के लिए रोड परमिट के फार्मेट में संशोधन करते हुए नया परमिट जारी किया है। अब कंपनियों पर निर्भर है कि वे कब से ऑनलाइन बुकिंग शुरू करें।

दो वर्षों से बिहार में 10 हजार से अधिक के सामान की बुकिंग बंद है। 10 अगस्त से ई-कॉमर्स कंपनियाँ अब एक नई रोड परमिट डी 9 ए पर काम करेंगी। इस रोड परमिट से ई-कॉमर्स कंपनियाँ एक ट्रक पर जितना भी सामान होगा, उसे एक ही रोड परमिट के फॉर्मेट पर इंट्री करेंगे। अब ई-कॉमर्स कंपनियाँ बिहार के लिए हर कीमत की वस्तुओं की बुकिंग कर सकेंगे।

पहले क्या थी उपभोक्ताओं की परेशानी : वाणिज्य कर विभाग के नियम के अनुसार अगर कोई उपभोक्ता राज्य के बाहर से 10 हजार से अधिक का सामान मंगवाता है, तो उसे पहले रोड परमिट लेना होगा। ऑनलाइन परमिट निकालने की सुविधा विभाग ने ई-कॉमर्स कंपनियों को दे दी थी, लेकिन कंपनियों का कहना था एक फ्लाइट से एक साथ छोटे-बड़े कई सामान आते हैं। सभी सामान का परमिट एकसाथ निकालना आसान नहीं है। इस कारण ई-कॉमर्स कंपनियाँ बिहार में 10 हजार से अधिक के सामान की बुकिंग बंद कर दी थी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 11.8.2016)**

एक करोड़ से अधिक की खरीद अब ई-ऑक्शन से

सरकारी स्तर से वस्तुओं की खरीद व खुली निविदा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इंटरनेट पर ही अब नीलामी प्रक्रिया को संभव बना दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ई. क्रय प्रणाली को विस्तारित कर नया 'ई, ऑक्शन' मॉड्यूल को लागू करने का निर्णय लिया है। इस मॉड्यूल में नीलाम वाले और बोली लगाने वाले के बीच सीधा ई व्यवसाय कायम हो सकेगा। सरकार ने पहले ही निविदा के लिए इलेक्ट्रॉनिक पद्धति ई टेंडरिंग / ई प्राक्यूरमेंट की व्यवस्था लागू कर रखी है। विभाग की ओर से नीलाम करने वाले प्राधिकृत अधिकारी अपने सामान/सैरात आदि की बिक्री के लिए वेबसाइट पर ही सूचना निकालेंगे। खरीदारों/ बोली लगाने वालों को इंटरनेट पर आमंत्रित किया जा सकेगा। इच्छुक व्यक्ति या कंपनी निर्धारित समय में अपनी बोली/प्रस्ताव भेज सकती हैं या नई बोली लगा सकती हैं। अन्य संवेदक भी खुली नीलामी की तरह अपनी बोली को परिवर्तित कर सकते हैं। ई-खरीद प्रणाली के तहत ई-ऑक्शन व्यवस्था एक करोड़ से अधिक के मामलों पर अनिवार्य तौर से लागू किया जाएगा। साथ ही 15 लाख रुपए से अधिक की कोई भी खरीद ई। प्राक्यूरमेंट प्रणाली के तहत होगी। पहले यह 25 लाख से अधिक के लिए लागू होती थी।

सभी विभागों खासकर निर्माण कार्य विभागों को नए संशोधित नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। बेल्ट्रान को नोडल एजेंसी बनाया गया है। नई व्यवस्था से निविदा व नीलामी में पक्षपात, धमकी, न्यूनतम मूल्य संगठित करने आदि शिकायतों का निराकरण हो सकेगा। वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर उसका औचित्यपूर्ण मूल्य तय होगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 11.8.2016)**

RAJAN NAMES RBI TEAM FOR MONETARY POLICY PANEL

Governor Raghu Ram Rajan named the central bank's executive director incharge of monetary policy Nhchael Patra as the third member to represent the RBI in the Monetary Policy Conunittee, (MPC). The other two members are the RBI governor (who will be the ex officio chairperson), and deputy governor in charge of monetary policy, who is currently Urjit Patel. The move comes even as the government is yet to nominate the next governor or its own nominees on the MPC.

Under the new monetary policy framework, interest rates will be set by the six member MPC and not the governor Tuesday's policy was historic as this is the last time in the RBI's 81-year history that the governor gets to decide on interest rates. Future rate decisions will be taken by the MPC. **(Detail : Times of India, 11.08.2016)**

ग्राहक की लापरवाही नहीं तो फ्रॉड में जिम्मेदारी बैंक की

धोखाधड़ी / बैंक व खाताधारक की जिम्मेदारी तय करने का ड्राफ्ट जारी

इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने कहा है यदि बैंक की लापरवाही सामने आई तो ऐसे मामलों में खाताधारक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन ग्राहक ने लापरवाही की है, तो फिर इसका जिम्मेदार भी वही होगा। अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिग ट्रांजेक्शन में ग्राहक की जिम्मेदारी तय करने के लिए लाए गए ग्राहक सुरक्षा प्रस्ताव के मसौदे में रिजर्व बैंक ने यह बात कही है। आरबीआई ने इस मसौदे पर सभी संबंधित पक्षों से 31 अगस्त तक राय देने को कहा है।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि डेबिट कार्ड और खातों में अनधिकृत ट्रांजेक्शन शिकायतों में हाल के दिनों में काफी इजाफा हुआ है। ऐसा स्थिति में ग्राहकों और बैंकों की जिम्मेदारी तय करना जरूरी हो गया है। मसौदे में कहा गया है कि बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन के मामले में अलर्ट के लिए ग्राहकों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने के लिए कहें। बैंक यह अलर्ट एसएमएस और ईमेल जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से तुरंत भेजे। ग्राहकों को भी सलाह दी गई है कि गैर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन में धोखाधड़ी होने पर इस संबंध में तुरंत बैंक को सूचित करें। देर करने पर बैंक और ग्राहक दोनों को ज्यादा नुकसान की आशंका है।

मसौदे के अहम प्रावधान : • खाताधारक की लापरवाही स्पष्ट नहीं तो जिम्मेदारी 5,000 रु तक सीमित होगी • ग्राहक को सात कार्य दिवस के भीतर बैंक को धोखाधड़ी की जानकारी देनी होगी • सूचना मिलने के बाद बैंक को 10 दिन में पैसे ग्राहक के खाते में डालने होंगे • बैंक को 90 दिन में समाधान करना होगा, ग्राहक को ब्याज का नुकसान न हो।

24 घंटे शिकायत लेने की व्यवस्था बनाएँ बैंक : बैंकों से ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा गया है जिसमें ग्राहक सातों दिन चौबीस घंटे बैंक का वेबसाइट, फोन बैंकिंग, एसएमएस, आईवीआर या टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से सूचित कर सके। बैंक का फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम भी तुरंत जवाब दे। ग्राहक को पंजीकृत शिकायत संख्या जैसी पावती मिले।

बैंक ने शिकायत नहीं ली तो ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं : बैंक यदि ग्राहक की शिकायत लेने सक्षम नहीं हुआ तो ग्राहक की जिम्मेदारी शून्य होगी। तब धोखाधड़ी की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। लेकिन ग्राहक की लापरवाही रही तो उसे भी सीमित जिम्मेदारी लेनी होगी। रिपोर्ट करने के बाद लेन-देन में नुकसान की भरपाई बैंक को करनी पड़ेगी। **(साभार : दैनिक भास्कर, 12.8.2016)**

अब सिर्फ तीन दिनों में बन जायेगा आपका पैन कार्ड

अब सिर्फ तीन दिन के भीतर ही आपका परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड बन जायेगा। कॉरपोरेट्स को यह सिर्फ एक दिन में जारी हो जायेगा। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है।

इंज ऑफ डूइंग बिजनेस और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने यह कदम उठाया है।

जानकारी के अनुसार कारोबारियों को अब एक दिन में कोई परेशानी नहीं आयेगी। कारोबारी अब डिजिटल हस्ताक्षर के जरिये पैन के लिए आवेदन कर

सकते हैं। आम लोगों का पैन कार्ड आधार नंबर के जरिये तुरंत जांच-पड़ताल कर लिया जायेगा, जिससे आम लोगों को यह सिर्फ 3 से 4 दिन के भीतर मिल जायेगा। जिनके पास डिजिटल हस्ताक्षर नहीं है, उनके लिए आधार संख्या पर आधारित सेवा शुरू की गयी है।

क्या है पैन कार्ड : परमानेंट अकाउंट नम्बर (पैन) कार्ड एक फोटो पहचान पत्र है, जिसमें प्रत्येक कार्डधारी के लिए 10 अंकों वाला एक अल्फा न्युमेरिक नंबर आवंटित की जाती है। कार्ड केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और आयकर रिटर्न दाखिल करने के दौरान पैन नंबर बताना अनिवार्य है। इसके अलावा, पैन का उपयोग बैंक में खाता खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने, ट्रेन में ई-टिकट के साथ यात्रा करने समय पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

प्राप्त करने की पात्रता : कोई भी व्यक्ति, फर्म या संयुक्त उपक्रम पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। पैन के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक कागजात, पासपोर्ट आकार की दो रंगीन फोटो।

पैन कार्ड के लिए शुल्क : पैन आवेदन के लिए शुल्क 107 रुपये है। विदेश के दिये गये पते पर बनवाने के लिए 994 रुपये का ड्राफ्ट आवश्यक है। शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, चेक अथवा क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जा सकता है।

पैन का अनिवार्य उपयोग : • आयकर (आईटी) रिटर्न दाखिल करने के लिए • शेयरों की खरीद-बिक्री के लिए डीमैट खाता खुलवाने के लिए • एक बैंक खाता से दूसरे बैंक खाता में 50 हजार रुपये या उससे अधिक की राशि निकालने अथवा जमा करने अथवा हस्तांतरित करने पर • टीडीएस जमा करने व वापस पाने के लिए।

(साभार : प्रभात खबर, 10.8.2016)

BIHAR'S POWER SHARE IN NABINAGAR THERMAL PLANT GOES UP

Bihar will stand to gain 179 MW additional power from the 1,980 MW Nabinagar thermal power plant being set up in Aurangabad district of the state.

The Centre had initially allocated 69.37% share (1374 MW) from 1,980 MW stage I of the power plant. However, it acceded to Bihar's request for additional power after West Bengal surrendered its share of 179 MW. Bihar had been requesting the Centre for the last six months to increase its power share through Central quota, which now stands at 2,700 MW (approx.).

With the additional allocation, the state will get a total 1,553 MW of power from stage I, whose first unit of 660 MW is expected to start generation from March 2017 while other two units of 660 MW each by September 2017 and March 2018.

Confirming this, managing director of the Bihar State Power Generation Company Limited, R Lakshmanan, said, "Power from Nabinagar, which will cost Rs. 3.70 per unit, will be cheaper as compared to the average per unit cost (Rs. 4) of power from Central sectors."

(Details : Hindustan Times, 15.08.2016)

ट्रैफिक सिग्नलों के समय का पुनर्निर्धारण

• चौक-चौराहों पर ट्रैफिक लोड के सर्वे के आधार पर हुआ परिवर्तन • अगस्त के अंत तक कंट्रोल रूम से साइंक्रोनाइज्ड होंगे सिग्नल

राजधानी में जिन ट्रैफिक सिग्नलों को वातायात को आसान बनाने के लिए लगाया गया था वही सिरदर्द बनने लगी। इस सिरदर्दी को दूर करने की कोशिश हुई है। पटना कमिश्नर आनंद किशोर ने इन ट्रैफिक सिग्नलों की समीक्षा के बाद इसमें बदलाव किए हैं। इससे पहले 04 अगस्त को कमिश्नर ने बेली रोड और उससे जुड़ने वाली सड़कों पर लगी ट्रैफिक लाइट सिग्नल के समय निर्धारण को लेकर निर्देश दिया था कि विभिन्न सिग्नलों के हरे और लाल रंग की टाइमिंग को ट्रैफिक लोकेशन के आधार पर एडजस्ट किया जाए, इसके लिए एजेंसी को एक सप्ताह का समय दिया गया था। निदेश के अनुपालन में ट्रैफिक लाइट पर काम कर रही एजेंसी ने उन्हें बताया कि बेली रोड पर राजवंशीनगर मोड़ से लेकर डाकबंगला चौराहे तक के सारे ट्रैफिक सिग्नल लाईट को वाहनों को विभिन्न समय के दबाव और यातायात के लोड के अनुसार ग्रीन लाइट के समय में सुधार कर दिया गया है। अगस्त माह के अंत तक समेकित रूप से बैठकर ट्रैफिक लाईट की सही मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी के कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरी मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

(विस्तृत : आई नेक्स्ट, 13.8.2016)

दीघा सड़क पुल पर मार्च से दौड़ेंगे वाहन

गाँधी सेतु के महाजाम से लोगों का मिलेगी मुक्ति

महात्मा गाँधी सेतु के महाजाम से परेशान लोगों को जल्द ही इससे मुक्ति मिल सकती है। मार्च से दीघा-सोनपुर पुल पर छोटी गाड़ियाँ दौड़ने लगेंगी। इससे गाँधी सेतु का लोड कुछ कम होगा। सोनपुर वाले छोर के शेष 400 मीटर काम पूरा होने पर ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क से यह पुल जुड़ जाएगा। इसे पहलेजा-हरिहरनाथ मंदिर रोड से जोडकर एनएच 19 से जोड़ दिया जाएगा। मार्च के पहले पुल के दीघा छोर वाले हिस्से को बांकीपुर-दानापुर रोड में उतार लिया जाएगा। उसके बाद ट्रक-बस छोड़कर अन्य यात्री वाहन इसपर चलने लगेंगे।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.8.2016)

शुल्क देकर दौड़ेंगे डीजल वाहन

उच्चतम न्यायालय ने 2000 सीसी डीजल वाहनों के पंजीकरण से प्रतिबंध हटाया

अगर आप दिल्ली-एनसीसार में रहते हैं और डीजल से चलने वाली कोई भारी-भरकम गाड़ी खरीदने की अपनी ख्वाहिश को अभी तक दबाकर बैठे थे तो आपकी बंदिश अब खत्म हो गई है। जाइए और मनचाही गाड़ी खरीद लाइए क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 2000 सीसी से बड़े इंजन वाली डीजल गाड़ियों पर आठ महीने पहले लगाई रोक हटा ली। अब दिल्ली-एनसीआर में इन गाड़ियों का पंजीकरण हो सकेगा।

• पिछले साल दिसम्बर में लगाया था दिल्ली एवं एनसीआर में डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध • अदालत ने लगाया एक प्रतिशत उपकर, पर्यावरणविदों ने बताया बहुत कम • यह राशि जाएगी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में • उद्योग ने किया अदालत के इस फैसले का स्वागत

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 13.8.2016)

अब एप से होगा पासपोर्ट वेरिफिकेशन

पासपोर्ट बनानेवालों के लिए अच्छी खबर है, जो लोग भी पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, वे अब तैयार हो जाएँ। अब आपके पास टैबलेट से लैस पुलिसकर्मी 6 मोबाइल एप के जरिये पासपोर्ट के लिए आपका वेरिफिकेशन करेंगे। एंड्रॉयड प्लेटफार्म पर उपलब्ध एम पासपोर्ट का पुलिस एप के जरिये वेरिफिकेशन होगा, पुलिस अधिकारी सेल्फी के साथ फोटोग्राफ अपलोड करेंगे और फिर एक सप्ताह के अंदर उसे प्रोसेस करा दिया जायेगा। बिहार सरकार विदेश मंत्रालय के एम पासपोर्ट मोबाइल एप सेवा से जुड़ने के लिए कवायद शुरू कर चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव पर डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को टैबलेट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक 1500 टैबलेट खरीदे जा चुके हैं और उसे अभी उन क्षेत्रों में प्रयोग में लाने की तैयारी चल रही है जहाँ ज्यादा से ज्यादा आवेदन आते हैं। पटना के साथ गोपालगंज, सीवान, छपरा आदि जिलों में इसे शुरू किया जायेगा। बिहार में इसे लांच करने में एक से लेकर दो महीने का वक्त लग सकता है। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के बाद इस मोबाइल एप का प्रयोग बेंगलुरू में किया जा रहा है। बेंगलुरू में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

(साभार : प्रभात खबर, 13.8.2016)

प्रमुख ट्रेनों में अब छह जनरल बोगियाँ

लंबी प्रतीक्षा सूची से हलकान यात्रियों को थोड़ी राहत देने के लिए जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाने का फैसला रेलवे बोर्ड ने लिया है। इसके तहत सभी प्रमुख ट्रेनों में कम से कम छह जनरल बोगियाँ लगाने का निर्देश दिया है। वरीय अधिकारियों के अनुसार 2007-08 के बाद चलाई गई ट्रेनों में कम से कम छह जनरल बोगियाँ लगानी होंगी। इसके बाद इसका आकलन बोर्ड कर आगे की कार्रवाई करेगा।

आरक्षित टिकट नहीं मिलने पर दीनदयाल कोच : ट्रेनों में अतिरिक्त सामान्य बोगियाँ दीनदयाल कोच होगी। इसमें में बैठने व सामान रखने वाली

दोनों सीटें गद्देदार होंगी इसके साथ ही बोगी में एलइडी लाइट, शौचालय में इंडीकेटर, मोबाइल व लैपटाप चार्जर के साथ कचरा रखने के लिए डब्बे लगे होंगे।

वेटिंग वालों को आरक्षित कोच में जगह नहीं : प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियें को आरक्षित कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है। आरक्षित कोच में प्रतीक्षा सूची वाले यात्री पकड़े जाते हैं तो टीटीई उनसे जुर्माना वसूलते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए यह नई व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद होगी।

दूसरी ट्रेन में कंफर्म टिकट : अब यात्रियों को आरक्षण टिकट लेते समय ही पर्ची में विकल्प का चयन करना होगा। इसके तहत यदि यात्रियों को संबंधित ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं होता है तो दूसरी ट्रेन में उनका बर्थ कंफर्म कर दिया जाएगा। इससे यात्रियों को काफी फायदा मिलने लगा है।

(साभार : दैनिक जागरज, 14.8.2016)

अब रेल बजट नहीं

फैसला, रेल मंत्री के प्रस्ताव को हरी झंडी

वर्ष 2017 में रेल बजट नहीं पेश होगा, करीब एक सदी पुरानी इस परंपरा को केन्द्र सरकार ने खत्म करने का फैसला कर लिया है। नौ अगस्त को रेल मंत्री ने इस संबंध में कहा था। अगले वित्त वर्ष (2017-18) से संसद में अलग से रेल बजट प्रस्तुत करने के 92 साल पुराने चलन पर विराम लगने वाला है। वित्त मंत्रालय ने रेल बजट को आम बजट में मिलाये जाने के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

रेलवे के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने विलय के तौर तरीकों पर काम करने के लिए पाँच सदस्यीय एक समिति गठित कर दी है, जिसमें मंत्रालय और राष्ट्रीय परिवाहक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति से 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। रेल मंत्री प्रभु ने बताया कहा, 'मैंने रेल बजट को आम बजट में मिलाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली की पत्र लिखा था। यह रेलवे के हित में होगा और राष्ट्र के भी हित में होगा, हम तौर तरीकों पर काम कर रहे हैं। 'रेलवे को सब्सिडी पर 32 हजार करोड़ रूपये के वार्षिक खर्च के साथ ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से करीब 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब का परिणाम लागत में 1.07 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के रूप में निकला और चालू 442 रेल परियोजनाओं पर आगे काम के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है। यदि विलय होता है, तो भारतीय रेलवे को वार्षिक रूप से लाभांश अदा करने से मुक्ति मिल जायेगी, जो उसे हर साल सरकार की ओर से व्यापक बजट सहायता के बदले में देना पड़ता है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अलग से रेल बजट के लगभग एक सदी पुराने चलन को खत्म करने का कदम मोदी सरकार के सुधार का एजेंडा है। विलय के साथ यात्री किराया बढ़ाने का फैसला करना वित्त मंत्री का काम होगा। प्रभु ने नौ अगस्त को राज्यसभा को भी बताया था कि उन्होंने वित्त मंत्री को लिखा है कि रेलवे और देश के हित में रेल बजट का विलब आम बजट में किया जाये।

(साभार : प्रभात खबर, 15.8.2016)

भवनों का नक्शा होगा ऑनलाइन

चार मंजिला भवनों के लिए सरकार ने जारी किया आदेश

सूबे नगर निकायों को चार मंजिला (11मीटर) या उससे अधिक ऊंचाई वाले भवनों का नक्शा अब ऑनलाइन करना होगा। सरकार का यह आदेश राज्य के 11 नगर निगम, 42 नगर परिषद और 87 नगर पंचायतों में लागू होगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने सभी नगर निकायों के आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों जी प्लस तीन/ एस प्लस तीन या उससे ऊंची इमारतों के लिए यह व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। बहुमंजिली इमारतों की ऊंचाई अब मकान के ग्राउंड या पिलिंथ से मापी जाएगी। जहाँ बेसमेंट होगा, वहाँ उसके सिलिंग भवन की ऊंचाई का माप किया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि शासन ने को जारी आदेश में नक्शा के साथ 12 बिंदुओं पर आधारित फॉर्मेट में बाकायदा नक्शा से संबंधित जानकारी भी वेबसाइट पर अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया है। कहा गया है कि प्रत्येक तल्ले के प्लान को स्कैन करके अथवा सॉफ्ट कॉपी को पीडीएफ के रूप में लिंक करके अपलोड कराएँ। महत्वपूर्ण यह है कि सर्वप्रथम भविष्य में स्वीकृत होने वाले सभी नक्शों के लिए यह व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि इसके बाद वर्तमान और फिर पूर्व में स्वीकृत नक्शों को भी अपलोड कराएं। शासन ने सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।

निकायें को वेबसाइट पर अपलोड करने का सख्त निर्देश : नक्शा पास करते समय सड़कों की चौड़ाई का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। इसमें मुख्य रूप से 20 फुट चौड़ी सड़क पर एफएआर 2, अधिकतम ऊँचाई 12 मीटर (जी+तीन, एस +तीन), 30 फुट चौड़ी सड़क पर एफएआर 2.5 और अधिकतम ऊँचाई 18 मीटर (एस+पाँच), 40 फुट चौड़ी सड़क पर एफएआर 2.5 और अधिकतम ऊँचाई 24 मीटर और 60 फुट चौड़ी सड़क पर एफएआर 2.5 80 फुट चौड़ी सड़क पर एफएआर 3.5 का प्रावधान किया गया है।

(साभार : दैनिक जागरण, 13.8.2016)

दवा मंडी : करोडों का कारोबार, लेकिन न शौचालय, न पार्किंग

गोविंद मित्रा रोड की दवा मंडी राज्य का सबसे बड़ी दवा मंडी है, यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों दवा कारोबारी पूरे सूबे से आते हैं। इस मंडी में देश में निर्मित दवाओं के अलावा विदेशी दवाएँ यहाँ मिलती हैं। यहीं कारण है कि सभी ब्रांडेड दवा कंपनिया के डिपो और स्टॉकिस्ट इस मंडी में मौजूद हैं। इस दवा मंडी में प्रतिदिन चार से पाँच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होता है। जिससे राज्य सरकार को मोटा राजस्व प्राप्त हो, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर न तो पार्किंग है और न ही शौचालय, जबकि बिहार कैमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने कई बार राज्य सरकार को ध्यान इस पर आकृष्ट कराया है, लेकिन कभी भी इस पर ठोस पहल नहीं की गयी।

1970 में यहाँ दो-चार दवा की दुकान खुली थी। इनमें मुम्बई ड्रग हाउस और मेडिसिन हाउस सबसे पुरानी दुकान है। लेकिन 1985 के बाद गोविंद मित्रा रोड दवा मंडी का रूप लेने लगा। आज इस मंडी में लगभग एक हजार से अधिक दवा दुकानें हैं। जहाँ ब्रांडेड और जेनेरिक दवाएँ मिलती हैं। दवा दुकानों के अलावा यहाँ लगभग सभी बड़ी दवा कंपनियाँ के डिपो और स्टॉकिस्ट का ऑफिस मौजूद है।

बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं पर ही करें फोकस

"नकली दवाओं की रोकथाम के नाम चलाये जा रहे अभियान से व्यवसायी परेशान हो रहे हैं। प्रशासन केवल बिना बिल, बिना लाईसेंस के अवैध दवा व्यापारियों पर ध्यान केन्द्रित करे तो बेहतर होगा।"

– परसन कुमार सिंह, अध्यक्ष, बिहार
बिहार केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन

"प्रशासन की ओर से यहाँ एक पुलिस चौकी है। वहीं एसोसिएशन की ओर से चार रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की गयी है जो रात से लेकर सुबह तक मार्केट के सुरक्षा में लगा रहता है।"

– अर्जुन कुमार यादव, अध्यक्ष, पीसीडीए

(साभार : प्रभात खबर, 12.8.2016)

कंकड़बाग व पाटलिपुत्र बन सकते हैं स्मार्ट जोन

• मंत्रियों व अधिकारियों के सामने कंपनी ने दिया प्रेजेंटेशन • 500 एकड़ इलाका पैन सिटी के रूप में होना है डेवलप

राजधानी का कंकड़बाग, पाटलिपुत्र और गर्दनीबाग का इलाका स्मार्ट जोन की रेस में सबसे आगे चल रहा है। होटल मौर्या में स्मार्ट सिटी के लिए काम कर रही एजेंसी ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें इन इलाकों को सबसे पहले डेवलप करने पर जोर दिया गया। हालांकि कंपनी ने कहा कि ये सिर्फ शुरूआती बात है, शहर का कौन सा हिस्सा डेवलप होगा इसपर अंतिम फैसला जनता के सुझावों के बाद ही लिया जाएगा। नगर निगम की और से आयोजित कार्यक्रम में कंपनी आर्की टेवनो ने नगर विकास मंत्री महेश्वर हजारी, केन्द्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव, मेयर अफजल इमाम समेत विधायकों व अधिकारियों के सामने प्रेजेटेशन दिया। कंपनी के प्रेजेंटेशन में पटना सिटी इलाके का जिक्र न होने पर सांसद रामकृपाल यादव ने बीच में ही आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब हम स्मार्ट पटना की बात करते है, तो उससे पटना सिटी को महरूम नहीं रखा जा सकता। इसपर कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि फिलहाल ये सिर्फ नमूना है। स्मार्ट सिटी की

रेस में पटना को शामिल करने के लिए पहले 500 एकड़ के एरिया डेवपल किया जाएगा, अभी उस बिंदु पर बात हो रही है।

कंपनी ने दिए ये स्मार्ट सुझाव : • 500 एकड़ इलाके में होगी रेट्रोफिटिंग • 50 एकड़ इलाके का होगा रिडेवलपमेंट • 250 एकड़ क्षेत्र में रहेगा ग्रीन फिल्ड। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 14.8.2016)**

पटना समेत 10 शहरों में 'स्मार्ट गंगा सिटी' शुरू

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती और केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वैकेया नायडू ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए 'नमामि गंगे' परियोजना के तहत को देश के 10 प्रमुख शहरों में स्मार्ट गंगा सिटी परियोजना की शुरुआत की। योजना के तहत सीवरेज उपचार के बुनियादी ढांचे का हाइब्रिड एन्यूटी आधार पर सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए निर्माण किया जाएगा और इन शहरों में गंदे पानी का शोधन करके उसे छोड़ा जाएगा। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 14.8.2016)**

अगलगी पर काबू पाने को 11 नए फायर स्टेशन

बढ़ती आबादी वाले स्थानों को किया गया चिह्नित, दो ब्लॉक में भी फायर स्टेशन खुलेगा

बिहार के 11 जगहों पर नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। कई बिंदुओं को ध्यान में रखकर इन जगहों को चिहिनत किया गया है। इनमें सर्वाधिक तीन पटना जिले में, जबकि आठ अन्य जिलों में एक-एक फायर स्टेशन खोले जाएंगे। नए फायर स्टेशन खोलने से संबंधित प्रस्ताव डीजी होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज ने सरकार को भेजा है।

आबादी व उद्योग-धंधों का रखा गया ध्यान : नए फायर स्टेशन खोलने का प्रस्ताव कई पैमानों पर हुए अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक उन स्थानों को चिह्नित किया गया है जहाँ हाल के वर्षों में आबादी तेजी बढ़ी है। आसपास में फायर स्टेशन नहीं है और अगलगी की कई घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा वहाँ उद्योग-धंधे या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं। इन्ही बिन्दुओं पर फायर स्टेशन खोलने के लिए 11 जगहों का चयन किया गया है।

इन जगहों पर खुलेगा : • **पटना :** सिपारा, पाटलिपुत्र और फतुहा • **गया :** मानपुर • **मुजफ्फरपुर :** भगवानपुर • **छपरा :** जेपी विश्वविद्यालय के पास • **दरभंगा :** लहेरियासराय • **मुंगेर :** जमालपुर, भागलपुर • **पूर्णिया :** गुलाबबाग • **सहरसा :** सोनवर्षा। इन 11 स्थानों के अलावा ब्लॉक स्तर पर दो नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इनमें बेतिया का वितहा और वैशाली का राघोपुर शामिल है।

107 फायर स्टेशन है राज्य में : बिहार में 107 फायर स्टेशन हैं। इनमें 39 जिला मुख्यालयों में हैं। बाकी के अनुमंडलों में कार्यरत हैं। थाना स्तर पर भी फायर बिग्रेड की टीम रखी गई है। 173 थानों में यह व्यवस्था हो गई है, जल्द ही 268 थानों में इसकी व्यवस्था की जाएगी। जिला फायर स्टेशन में कम से कम 2 यूनिट जबकि कहीं चार यूनिट तक है। एक यूनिट में प्रधान अग्निक, प्रधान चालक के अलावा 6 दमकल कर्मी होते हैं।

"हाल के वर्षों में जहाँ नये इलाकों में आबादी बढ़ी है और उद्योग-धंधे चलते हैं, ऐसे स्थानों पर नये फायर स्टेशन खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है।"
– पी० एन० राय, डी० जी० होमगार्ड एण्ड फायर सर्विसेज

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.8.2016)

रजिस्ट्री से पहले डिजिटल नक्शा

सुविधा **जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े पर लगाम की कवायद**

जमीन की बढ़ती कीमतें और फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए अब राज्य सरकार नयी व्यवस्था लागू करने जा रही है। ताकि, लोगों को जमीन की रजिस्ट्री में किसी प्रकार का जोखिम न उठाना पड़े। इसके लिए अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले उसकी मापी की जायेगी और उसका डिजिटल नक्शा तैयार किया जायेगा। इसके बाद उस जमीन की रजिस्ट्री होगी। बिहार ऐसा पहला राज्य होगा। जहाँ इस तरह की व्यवस्था लागू होगी।

ऐसे होगा काम : यदि कोई रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री कराने आते हैं, तो उन्हें पहले कार्यालय में मौजूद एजेंसी के पास जमीन की मापी कराने के लिए भेजा जायेगा। इसके बाद एजेंसी उसकी चौहदी तय करेगी। उसके बाद खरीदार और विक्रेता की तसवीर ली जायेगी। इसके बाद एजेंसी उस जमीन का डिजिटल नक्शा तैयार कर विभाग को भेजेगा। इसके बाद निबंधन कार्यालय के कर्मी उन दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री करेंगे। इसके लिए लोगों को एजेंसी को शुल्क भी भुगतान करना होगा।

(साभार : प्रभात खबर, 11.8.2016)

फैसले अदालत के

कर प्रस्तावों की नहीं हो सकती है न्यायिक समीक्षा

बजट पेश करते समय वित्त मंत्री राजस्व उगाही के नए प्रावधानों का ऐलान करते हैं और केवल उसके आधार पर कोई भी पक्ष कर लाभों का दावा नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि जब तक वित्त मंत्री के बजट भाषण में उल्लिखित प्रावधानों को लागू नहीं कर दिया जाता है, तब तक कर लाभ के लिए दावे नहीं किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर किसी मामले में कर की मात्रा काफी अधिक लग रही हो तब भी करारोपण विधायिका का विशेषाधिकार है और वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता है। न्यायालय ने अमीन मर्चेंट बनाम केन्द्रीय राजस्व बोर्ड मामले का निपटारा करते हुए ये महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। इस कंपनी ने विदेश से अल्कोहल उत्पादों की 8 खेप मंगवाई थी जिस पर लगाए गए आयात शुल्क को उसने अनुचित बताया था। इसके लिए उसने बजट प्रस्तावों में किए गए ऐलानों को आधार बनाने के साथ ही राजस्व अधिकारियों पर भेदभाव के भी आरोप लगाए थे।

कायाकल्प पर लौटानी होगी परिसंपत्तियां : अगर किसी कंपनी को बंद करने का आदेश पलट दिया जाए और उसका कायाकल्प हो जाए तो वह अपने आधिकारिक परिसमापक (लिक्विडेटर) से अपनी सभी परिसंपत्तियाँ वापस हासिल करने की पात्र बन जाती है। मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी के परिसर में आए किरायेदारों को भी वह जगह खाली करनी होगी। ए तालुकदार ऐंड कंपनी बनाम सरकारी लिक्विडेटर मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कंपनी अदालत किरायेदारों को बेदखल कर सकती है। इस कंपनी को पहले बंद करने का निर्देश दिया गया था और उसके लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लिक्विडेटर की नियुक्ति भी कर दी थी। लेकिन इसी दौरान पाँच कंपनियों ने किरायेदार होने के दावे के साथ परिसर पर कब्जा कर लिया। बाद में कंपनी ने अपने कर्ज का भुगतान कर दिया और खुद को नए सिरे से खड़ा किया। मगर किरायेदारों ने जगह खाली करने से इनकार कर दिया और इसके बदले कुछ शर्तें रख दीं। उच्च न्यायालय ने तीन किरायेदारों के दावे स्वीकार भी कर लिए। इस पर कंपनी ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया जिसने उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कंपनी पर चल रहे मामले के दौरान वही उस परिसंपत्ति की मालिक थी और उसने इन कंपनियों को परिसर इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं दिया। लिहाजा, उन्हें वहाँ टिके रहने का कोई अधिकार नहीं है।

खनन पट्टे के नवीनीकरण की शर्तें : उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी खनन क्षेत्र में खुदाई के पट्टे का नवीनीकरण एक तरह से नया पट्टा आवंटन ही है और इसके पहले संबंधित क्षेत्र की सरकार नई शर्तें लगा सकती है। न्यायालय ने गुजरात सरकार बनाम निर्मलाबेन मामले में फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की है। गुजरात सरकार ने जामनगर और जूनागढ़ जिलों में बॉक्साइट उत्खनन के लिए 20 साल के पट्टे कुछ कंपनियों को दिए थे लेकिन उत्खनित खनिज का इस्तेमाल उन कंपनियों को खुद ही करने की शर्त रखी गई थी। लेकिन कुछ समय बाद पट्टा हासिल करने वाली कंपनी ने बॉक्साइट के निर्यात की अनुमति मांगी जिस पर राज्य सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया था। सरकार का कहना था कि उत्खनित खनिज का कंपनी अपने लिए इस्तेमाल करके उसे बेच रही है और रॉयल्टी भी नहीं दे रही है। पट्टा मालिक ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण ली और वहाँ उसे राहत भी मिल गई। राज्य सरकार ने अपील दायर करते हुए कहा कि यह कंपनी बिना सूचना के भारी मात्रा में अयस्क का निर्यात कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी पट्टे की नवीनीकरण करते समय सरकार नई शर्त रख सकती है। **(बिज़नेस स्टैंडर्ड, 15.8.16)**

इपीएफ खाते में बिहारियों के 3360 करोड़ रुपये फंसे

3.36 करोड़ बिहारी कर्मियों के खाते अनलिंक

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि खाता (इपीएफ) एक तरह से रिटायरमेंट के बाद पेंशन या अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने का एकमात्र आधार होता है। लेकिन, निजी सेक्टर की नौकरी में निश्चिंतता नहीं होने से कर्मचारी इसे बदलते रहते हैं। इस चक्कर में इपीएफ का बड़ा नुकसान निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को होता है। पूरे देश में निजी क्षेत्र के करीब 24 करोड़ कर्मचारी ऐसे हैं, जिनके पीएफ खाते लिंक ही नहीं है। ये खाते इनके किसी बैंक एकाउंट से भी नहीं जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से बैंकों में इनकी कमाई के करीब 28 हजार करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। इनमें बिहार के ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 14% यानी 3.36 करोड़ हैं। इनके 3360 करोड़ रुपये इपीएफ खातों में पड़े हुए हैं। इनमें वैसे कर्मचारी भी शामिल हैं, जो बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की पहल और सलाह पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के खाते लिंक करने का काम शुरू भी हुआ है। लेकिन, छह-सात माह में महज दो करोड़ के ही खाते लिंक हो पाये हैं। अब भी 24 करोड़ खाते अनलिंक पडे हुए हैं।

इस तरह के कर्मचारियों की संख्या ज्यादा : ऐसे तो निजी क्षेत्र के सभी तबकों के कर्मचारी इपीएफ खाते लिंक नहीं होने की समस्या से परेशान हैं। लेकिन, जो कर्मजारी ठेके पर या चतुर्थवर्गीय श्रेणी या ठेके पर मिस्त्री या मजदूर, पॉटर, मैकेनिक के रूप में किसी निजी कंपनी, फर्म या संस्थान में काम करते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है, खासकर निर्माण क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को। किसी बड़ी निर्माण कंपनी में मजदूर, मिस्त्री या अन्य निचले स्तर पर काम करनेवाले तमाम कर्मचारियों का पेमेंट कंपनी इपीएफ काट कर करती है, लेकिन कुछ समय बाद जब ये नौकरी छोड़ देते या इन्हें निकाल दिया जाता है, तब इनका कटा हुआ पीएफ वैसा ही पड़ा रह जाता है। जब ये किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो पुराना खाता लिंक नहीं होने से इनका पुराना खाता कुछ समय बाद बंद हो जाता है और फिर से नये पीएफ एकाउंट में रुपये जमा होने लगता है। इस तरह पुराने रुपये बिना किसी हिसाब के सरकारी खाते में पड़े रह जाते हैं। काफी समय तक ये रूपये बैंकों के सरकारी खातों में पेड़ रहने से इसका सीधा फायदा बैंकों को होता है। उनकी वित्तीय सेहत अच्छी बनी रहती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि बैंकों में काफी मात्रा में लोन के एनपीए में बदलने पर भी इस तरह के अनएकाउंटेड रुपये की वजह से ही उनकी वित्तीय सेहत बहुत प्रभावित नहीं हो पाती है। ये बैंकों को दिवालिया होने से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लंबे समय तक अनएकाउंटेड रुपये पड़े रहने से सरकार इनका उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्टर बांड बना कर डाल देती है।

(साभार : प्रभात खबर, 11.8.2016)

खुशखबरी : जल्द भविष्य निधि को गिरवी रख खरीद सकेंगे मकान

पीएफ से पूरा होगा घर का सपना

सरकार की तरफ से 2020 तक सबके लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करने में कर्मचारी भविष्य निधि (इंपीएफ) बड़ा हथियार बनेगी। इसके संकेत मिलने लगे है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इंपीएफओ) जल्द ही एक हाउसिंग स्कीम लाने वाला है। इसके तहत सस्ते मकान खरीदने के लिए पीएफ को गिरवी रखा जा सकेगा। मासिक किस्त अदा करने के लिए भी ईपीएफओ खाते का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका फायदा संगठन के चार करोड़ से ज्यादा अंशधारकों को होगा। श्रम सचिव शंकर आवाल ने बताया कि अगले महीने ईपीएफओ के केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक होनी है। इसी दौरान इस संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा।

समिति को भेजा सुझाव : स्कीम का सुझाव विशेषज्ञ समिति ने दिया है। इसमें संगठित क्षेत्र के निम्न आय वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखा गया है। ये कर्मी अपनी पूरी नौकरी के दौरान मकान नहीं खरीद पाते हैं। प्रस्तावित स्कीम के तहत एक त्रिपक्षीय समझौता होगा। इसमें अंशधारक, बैंक/हाउसिंग एजेंसी और ईपीएफओ शामिल होंगे। मासिक किस्त के भुगताव के लिए भावी पीएफ राशि को गिरवी रखने की खातिर यह व्यवस्था की जाएगी।

क्या है स्कीम : 1. हांउसिंग स्कीम के तहत सदस्य मकान खरीदने के लिए पीएफ जमा को बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रख सकेंगे। सीबीटी की मंजूरी के बाद अंशधारकों के लिए स्कीम उपलब्ध हो जाएगी। 2. स्कीम के कुछ बारीक बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। मसलन लोन प्राप्त करने के लिए किन सदस्यों को पात्र माना जाएगा। सस्ते मकान के लिए मानदंड क्या होंगे। 3. अंशधारकों पर कोई चीज थोपने की मंशा नहीं है। लिहाजा जमीन खरीदकर या घर बनाकर नहीं दिए जाएंगे। वे खुले बाजार से मकान चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(साभार : दैनिक जागरण, 15.8.2016)

माँ बनने पर मिलेगी 26 सप्ताह की छूट्टी

मोदी सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। 10.8.2016 को मंत्रिमंडल ने संशोधन विधेयक को स्वीकार कर लिया। इसके तहत माँ बनने पर महिलाओं को 26 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी। इस समय मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह की है। हालांकि, 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश सिर्फ शुरूआती दो बच्चों के लिए दिया जाएगा।

तीसरे या इससे अधिक बच्चे होने पर सिर्फ 12 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने कंपनी विधेयक में संशोधनों को भी मंजूर कर लिया है। इसे लोकसभा के इसी सत्र सें पेश किया जा चुका है। मातृत्व लाभ अधिनियम में माँ बनने पर बच्चे की देखेभाल के लिए महिलाओं को पूरे वेतन के साथ अवकाश का प्रावधान किया गया है। 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों पर यह कानून लागू होता है। इस कानून में संशोधन होने से लगभग 18 लाख कागकाजी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस निर्णय का देश की महिलाओं ने स्वागत किया है। कम दिनों की छुटूटी के कारण महिलाओं को काफी दिक्कतें होती थी।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.8.2016)

नाबालिग की मौत पर 5 लाख मुआवजा

मोटर वाहन दुर्घटना में नाबालिग की मौत पर अब कम से कम पाँच लाख रुपए बतौर मुआवजा देना होगा। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सवा दो लाख रुपए मुआवजा मिलता था। हाल के दिनों में पटना हाईकोर्ट ने ऐसे एक नहीं कई केस में पाँच लाख रुपए छह प्रतिशत सूद के साथ देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय तथा न्यायमूर्ति आदित्य कुमार त्रिवेदी की अलग-अलग पीठ ने मृत नाबालिग के माता-पिता की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 15.8.2016)

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक 2016 के खास प्रावधान

• शराब पी या नशे की अवस्था में पाए गए तो सात साल तक की सजा और एक से 10 लाख तक का जुर्माना। • शराब के नशे में अपराध, उपद्रव या हिंसा की तो कम से कम दस वर्ष की सजा। आजीवन कारावास और एक लाख से दस लाख तक का जुर्माना। • किसी परिसर या मकान में मादक द्रव्य या शराब बरामद हुई, उपभोग करते या शराब बनाते पाए गए, बिक्री या वितरण किया तो 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले परिवार के सभी सदस्यों को तब तक जिम्मेवार माना जाएगा जब तक वे अपने आप को निर्दोष साबित न कर दें। • अवैध तरीके से शराब का भंडारण करने पर आठ से दस वर्ष तक की सजा और दस लाख तक का जुर्माना। • अवैध शराब व्यापार में महिला या नाबालिग को लगाया तो दस वर्ष से आजीवन कारावास और एक लाख से दस लाख तक का जुर्माना। • कोई व्यक्ति, वाहन या परिवहन के अन्य साधनों के माध्यम से इस कानून का उल्लंधन किया तो बिना वारंट के दिन-रात कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन गिरफ्तारी की सूचना डीएम को देना होगी। • इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध गैर जमानती होंगे।

जहरीली शराब : • जहरीली शराब से मौत होने पर शराब बनाने वाले को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और दस लाख तक का जुर्माना। • विकलांग होने पर ऐसे शराब बनाने वाले को दस वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा और दो से 10 लाख तक की सजा। • कोई हानि नहीं होने पर भी नकली शराब बनाने वाले को आठ से दस वर्ष तक की सजा और एक से पाँच लाख तक का जुर्माना।

दोगुनी सजा : शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के दौरान कोई एक बार सजा काट चुका है और फिर वह दूसरी बार धराया तो उसे पूर्व की सजा को दोगुनी सजा काटनी होगी।

सामूहिक जुर्माना : कोई गाँव-शहर या विशेष इलाके में समूह या समुदाय बार-बार शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर रहा है तो डीएम के आदेश पर उस गांव, शहर या इलाके विशेष के लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। डीएम असंतुष्ट हुए तो सामूहिक जुर्माना।

तड़ीपार : कुख्यात या आदतन अपराधी लगातार दंडनीय अपराध कर रहा है या लोगों को प्रेरित कर रहा है तो ऐसे लोगों को वकील के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। डीएम संतुष्ट नहीं हुए तो ऐसे कुख्यात को जिला, इलाका या उस रास्ते से छह महीने से लेकर दो साल तक तड़ीपार किया जा सकता है।

पुलिस या उत्पाद अधिकारी नपेंगे : • कोई पुलिस या उत्पाद पदाधिकारी किसी को परेशान करने के लिए अपने कानूनी शक्तियों के बाहर जाकर तलाशी या गिरफ्तारी की तो उसे तीन साल तक ही सजा व एक लाख तक का जुर्माना। • कर्तव्य से मुकरने वाले अधिकारियों को तीन महीने तक की सजा और दस हजार रुपए तक का जुर्माना। **(साभार : हिन्दुस्तान, 2.8.2016)**

200 करोड़ से बनेंगे दो इएसआइसी अस्पताल

राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दो नये अस्पताल खुलेंगे। मुजफ्फरपुर और भागलपुर में 200 करोड़ रुपये की आगल से सौ बेडों के अस्पताल बनाये जायेंगे। इएसआइसी मुख्यालय नई दिल्ली ने राज्य में कर्मचारियों की बढ़ती संख्या और राज्य के क्षेत्रफल को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया है कि राज्य में दो और इएसआइसी अस्पताल की आवश्यकता है। मुख्यालय ने पहले क्षेत्रीय कार्यालय को यह प्रस्ताव भेजा, जिसे राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। भागलपुर और मुजफ्फरपुर के डीएम ने अस्पताल के लिए जमीन की पहचान कर ली है। एक सप्ताह के अंदर डीएम अपना प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंप देंगे जिसे राज्य सरकार इएसआइसी मुख्यालय को भेज देगी। इसके बाद केन्द्र सरकार दोनों अस्पताल को बनाने की औपचारिकताएँ शुरू करेगा। केन्द्र ही जमीन की कीमत भी देगी और अस्पताल का भवन भी बनायेगी। अस्पतालों में मैन पॉवर का खर्चा भी केन्द्र ही उठायेगा। दोनों अस्पताल के बन जाने से कम से कम रोजाना 500 मरीजों का इलाज हो सकेगा। इसके साथ ही उत्तर बिहार के कामगारों को इलाज कराने के लिए पटना आने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी।

अभी केवल पटना में ही है एकमात्र अस्पताल : अभी तक पटना के फुलवारीशरीफ में इएसआइसी का एकमात्र आदर्श अस्पताल है। वही विभिन्न जिलों में 19 डिस्पेंसरी हैं। राज्य में 20 लाख लोगों को इलाज की सुविधा मिलती है। इएसआइसी पर श्रमिकों और आश्रित परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का दारोमदार है। **(साभार : प्रभात खबर, 12.8.2016)**

बिल्डरों पर लगेगा कॉमर्शियल टैक्स फ्लैट की कीमतों में होगी बढ़ोतरी

जमीन के दाम घटाकर 1 से 5% तक लगेगा टैक्स

राज्य में फ्लैट खरीदना अब महंगा होगा। सरकार, पहली बार बिल्डर और डेक्लपर को भी वाणिज्य कर के दायरे में ले आई है। फ्लैट के खरीददार को 1 से 5 प्रतिशत के बीच वाणिज्य कर देना होगा। कर की दर 1 से 5 प्रतिशत के बीच कितनी होगी, इसे तय करने को वाणिज्य कर विभाग स्वतंत होगा। इसकी अधिसूचना अलग से जारी करेगा। कर की अधिकतम दर 5% होगी।

फ्लैट की कीमत में से जमीन की कीमत घटाने के बाद जो राशि बचेगी, उस पर कर देना होगा। बिहार मूल्यवर्द्धित कर (वैट) अधिनियम 2005 संशोधन विधेयक में इन तमाम नई व्यवस्थाओं की चर्चा है। यह विधेयक विधानसभा से पास हुआ।

टैक्स में वृद्धि का असर आमलोगों पर नहीं - मंत्री : वाणिज्य कर मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा-टैक्स में वृद्धि का असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा। हाँ, संपत्र तबके के उपभोग के सामान जरूर थोड़े महंगे होंगे। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने के लिए हमें सात से आठ हजार करोड़ रुपए चाहिए। केन्द्रीय योजनाओं में केंद्रांश कम करने के चलते बिहार पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।

वैट दर	फ्लैट की कीमत	टैक्स लगेगा
1 प्रतिशत	50 लाख	45 हजार
2 प्रतिशत	50 लाख	90 हजार
3 प्रतिशत	50 लाख	1.35 लाख
4 प्रतिशत	50 लाख	1.80 लाख
5 प्रतिशत	50 लाख	2.25 लाख

फ्लैट पर टैक्स का गणित यूँ समझें : फ्लैट की कीमत पर कितना कर देना होगा? इसे ऐसे समझा जा सकता है। यदि किसी जमीन की कीमत 50 लाख है और बिल्डर या डेवलपर उस पर 10 फ्लैट बनाता है और प्रत्येक फ्लैट की कीमत में जमीन की कीमत समान रूप से बांट दी जाएगी। यानी, दस फ्लैट है तो पाँच लाख रुपए प्रति फ्लैट। अब फ्लैट की कीमत अगर 50 लाख रुपए है तो उसमें जमीन की कीमत को 45 लाख मानते हुए उस पर वाणिज्य कर लिया जाएगा। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 3.8.2016)**

कर-सलाह

प्र०: आयकर रिटर्न भरते समय कुल आमदनी में क्या मुझे विभिन्न बैंको में अपने सामान्य बचत खातों पर प्राप्त ब्याज जो आमतौर पर सभी बैंको में, एक साल में दो बार दी जाती है, को भी शामिल करना चाहिए? सामान्य बचत खातों में प्राप्त ब्याज कर दायरे में आती है या फिर सिर्फ बैंको में कराये गए आरडी एवं एफडी पर ही प्राप्त ब्जाज कर दायरे में आएगी?

उ०: बैंको से प्राप्त सभी तरह की ब्याज कर के दायरे में आती है फिर वे चाहे बचत खाते की ब्याज हो अथवा एफडी एवं आरडी की। आयकर रिटर्न भरते समय इन सभी की आय को सकल आय में जोड़ना चाहिए। हाँ, बचत खाते में प्राप्त ब्याज पर आयकर की धारा 80 टीटीए के तहत 10 हजार रुपये तक की अधिकतम छूट प्राप्त है। यदि आपकी बचत खाते से आय 10 हजार रुपये तक है या फिर उससे कम है तो इस धारा के तहत उतनी ही छूट प्राप्त करें जितनी की आय है। यदि आय 10 हजार रुपये से अधिक है तो छूट केवल 10 हजार रुपये की ही प्राप्त होगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 1.8.2016)**

प्र०: मुझे क्षतिपूर्ति एवं जुर्माने के रूप में सुप्रीम कोर्ट के जरिये 22 लाख रुपये अपने बिल्डर से प्राप्त हुए जिसने हमें एक बना हुआ अनाधिकृत मकान वर्ष 2001 में बेचा। कोर्ट के निर्देश के बाद यह मकान गिरा दिया गया। इस मकान का खरीद मूल्य चार लाख रुपये था। इस पर मेरी कर देयता क्या होगी?

उ०: आपके सवाल के जवाब में अनेक मत हो सकते हैं परन्तु मेरी राय में आपको अपने मकान के एवज में जो क्षतिपूर्ति एवं जुर्माने की राशि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हुई है वो आयकर की किसी भी धारा के तहत कर योग्य नहीं बनती। अत: इस पर कोई कर नहीं बनता। दूसरा आपको जो 22 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं उसे पूंजीगत प्राप्ति ही माना चाएगा।

प्र०: मेरी खेती की जमीन चार लेन हेतु सरकार ने अधिगृहीत की है। इसके मुआवजे के रूप मे मुझे 16 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इस पर मेरा टीडीएस 1.60 लाख रुपये काटा गया है। क्या मेरी आय करमुक्त आय है? क्या मुझे आयकर विभाग से रिफंड प्राप्त होगा?

उ०: आपकी खेती की जमीन अधिग्रहित की गई है। अत: इससे प्राप्त आय आयकर की धारा 10 (37) के तहत करमुक्त है यदि आपने जमीन अधिग्रहण से पूर्व दो साल तक इस पर खेती की है। ऐसे में आपका काटा गया टीडीएस आपको आयकर विवरणी जमा करने पर रिफंड के रूप में वापस प्राप्त होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.8.2016)

सात दिन के भीतर आ आएगा आपके खाते में पैसा

अकाउट से बैलेंस अचानक कम हो जाने पर करें बैंक में शिकायत

कई बार एटीएम से पैसा निकालते वक्त पैसा तो नहीं निकलता, लेकिन आपके खाते में बैलेंस कम हो जाता है। जिससे खाताधारक को अनावश्यक परेशान होना पड़ता है, तो आप घबराएं नहीं बल्कि बैंक से इस बारे में शिकायत कर शीघ्र पैसा वापस मंगा सकते हैं।

ऐसे करें शिकायत : बैंक में दी गई शिकायत में आपको यह बताना होगा कि आपने किस दिन और कितने समय पैसा निकालने का प्रयास किया था और किस समय आपके खाते से बैलेंस कम हुआ है। शिकायत के 7 दिनों के अन्दर आपको आपकी रकम मिल जानी चाहिए, इससे ज्यादा दिन लगने पर बैंक आपको 100 रुपए रोजाना के हिसाब से पेनल्टी देगा। यहाँ भी कर सकते हैं शिकायत केवल ट्रांजैक्शन ही नहीं बल्कि एटीएम से संबंधित किसी और

समस्या के लिए भी सबसे पहले आप अपने बैंक में ही शिकायत करें। कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप इसके बाद बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोकपाल के पास नहीं जाना चाहते तो कन्जयूमर कोर्ट की भी मदद ले सकते हैं, बैंक को शिकायत लेने पर कार्रवाई करने के लिए संबधित बैंक को एक महीने का समय देना जरूरी होता है। इसके बाद आप की शिकायत पर सही ढंग से अमल हो जाएगा। **(साभार : आई नेक्स्ट, 2.8.2016)**

अब राज्य में 30 दिनों में पास होगा औद्योगिक निवेश का प्रस्ताव

बिहार में अब 30 दिनों में कोई औद्योगिक प्रस्ताव पास हो जाएगा। अगर निवेश प्रस्ताव पर निर्धारित, समय में संबंधित विभाग अपना क्लियरेंस नहीं देगा तो उसे स्वत: क्लियर मान लिया जाएगा। प्रस्ताव के तहत राज्य में उद्योग, सेवा और कारोबारी इकाइयों की स्थापना और इसके संचालन के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना गया है।

विस में विधेयक हो गया पास : आवेदन पत्र एवं संबंधित दस्तावेजों का स्व प्रमाणन स्वीकार किया जाएगा। वहीं बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस अधिनियम - 2006 को निरस्त किया जाएगा। बिहार में निवेश एवं प्रोत्याहन को सहज बनाने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक-2016 विधानसभा से पास हो गया। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक - 2016 के तहत विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का गठन किया जाएगा, जिसमें उद्योग, वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण एवं वन, ऊर्जा, श्रम संसाधन, नगर विकास और आवास तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव इसके लिए सदस्य होंगे। **(साभार : दैनिक भास्कर, 3.8.2016)**

देश में अब निजी कंपनियाँ भी चलाएँगी ट्रेनें, प्लेटफार्म, ट्रेन से लेकर ट्रैक-सिग्नल-किराया सब उनका, रेलवे ने मांगे प्रस्ताव

जमीन और पैसा लगाएगी रेलवे, उसी अनुपात में होगी मुनाफे में हिस्सेदारी, रूट तय होने के बाद जारी होगा टेंडर

दुनिया की कोई भी कंपनी अब भारत में अपनी निजी ट्रेन चला सकेगी। इसके लिए कंपनियों को ही ट्रेन, प्लेटफार्म, सिग्नल, उनका संचालन, किराया तय करना और टाइम टेबल बनाना होगा। रेलवे ने इसके लिए रास्ता खोल दिया है। ये ट्रेनें अत्याधुनिक लेविटेशन बेस्ड तकनीक (मेगलेव ट्रेन जैसी) से चलेंगी। यह तकनीक फिलहाल सिर्फ चीन, जापान और जर्मनी के पास है। इनमें ट्रेनों की न्यूनतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। रेलवे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों से इसके लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं।

रेलवे के प्रस्ताव में यह नियम व शर्तें : • कंपनियाँ ट्रेन तैयार करेंगी। प्लेटफॉर्म, ट्रैक, सिग्नल की स्थापना, संचालन और रखरखाव करेंगी। • रेलवे जमीन देगा। यह ट्रेन रेलवे की मौजूदा पटरी से अलग एलीवेटेड ट्रैक पर चलेंगी। • रेलवे इस प्रोजेक्ट में हिस्सा पूंजी लगाएगा और उसी अनुपात में मुनाफा लेगा। • रुचि रखने वाली कंपनी को पहले 10-15 किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक पर ट्रेन चलाकर दिखानी होगी। • सिम्यूलेटर पर ट्रेन कैसी होगी, कैसे चलेगी और यात्री किस तरह सफर कर सकेंगे, यह दिखाना होगा। • तकनीकी खामी ठीक करने और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदार भी कंपनियाँ ही होंगी।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 2.8.2016)

निर्बाध बिजली न देने के कारण रैंकिंग में पिछड़ी बिजली कंपनी

बिजली कंपनी को रैंकिंग सुधारने के लिए उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली देनी होगी। बगैर फ्लक्चुएशन निर्बाध बिजली नहीं देने के कारण साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस साल भी रैंकिंग में पिछड़ गई है।

इस वर्ष साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 17 वां रैंक और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 25वां रैंक मिला है। इस कारण दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को केन्द्रीय सहायता के साथ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवल्पमेंट बैंक से ऋण लेने में परेशानी होगी। केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय अपनी एजेंसियों के माध्यम से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की रौंकिंग देश स्तर पर करती है। पिछले वर्ष साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 23 वें रैंक पर और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 11 वें रैंक पर थी।

रैंकिंग का आधार : • उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली देना • उपभोक्ताओं की शिकायतों का बीईआरसी के मानक के अनुरूप निवारण, टीएंडडी लॉस को कम करना • उपभोक्ताओं तक ज्यादा से ज्यादा पहुँचाना, न्यायिक मामले कम करना • कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों और पदाधिकारियों की संतुष्टि • सरकार से कम से कम अनुदान लेना यानी आत्मनिर्भर होना • वित्तीय ऑडिट साफ-सुथरा होना **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 8.8.2016)**

खराब कर्ज वसूली के लिए नियम

बैंकों के खराब कर्ज की शीघ्र वसूली के लिए नया कानून आया है। लोकसभा ने इसे एकमत से 1.8.2016 को पारित कर दिया, जबकि इसे राज्य सभा में पारित किया जाना है। इस विधेयक में ऑनलाइन कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) की ओर कदम बढ़ाने का प्रस्ताव है।

प्रमुख बदलाव : • सरफेसी अधिनियम से एक केन्द्रीय रजिस्ट्री की व्यवस्था होगी, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। • विधेयक के माध्यम से केन्दीय डेटाबेस बनाया गया है, जिसमें केन्द्रीय रजिस्ट्री के साथ विभिन्न पंजीकरण व्यवस्था के तहत पंजीकृत संपत्ति के एकीकृत रिकॉर्ड होंगे। इसमें कंपनी अधिनियम 2013, पंजीकरण अधिनियम, 1908 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हुए पंजीकरणों का एकीकरण भी होगा • अगर सुरक्षित कर्जदाता केन्द्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत नहीं है तो वह कर्ज देने में चूक करने वाले की गिरवी रखी संपत्ति पर कब्जा करने में सक्षम नहीं होगा। • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का खराब कर्ज सालाना आधार पर 2015-16 में बढकर 2.67 लाख करोड़ रुपये से 80 प्रतिशत बढ़कर 4.76 लाख करोड रुपये हो गया है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 3.8.2016)**

अब डाकघर में भी जमा होगा होल्डिंग टैक्स

नागरिकों की सुविधा के लिए डाक घरों के माध्यम से भी होल्डिंग टैक्स जमा लिए जाएंगे। नगर निगम की इस महत्वकांक्षी योजना पर पहले ही मुहर लग चुकी है। डाक विभाग के अधिकारियों ने नगर निगम मुख्यालय में स्थल निरीक्षण किया। वर्तमान में नगर निगम के टैक्स कलेक्टर घर-घर जाकर टैक्स उगाही करते हैं या होल्डिंग धारक स्थानीय निगम कार्यालय के काउंटर पर टैक्स जमा करते हैं। इस व्यवस्था में एक कदम आगे बढ़ते हुए निगम प्रशासन ने डाक घरों के माध्यम से टैक्स जमा कराने की योजना बनाई है। आज निगम मुख्यालय मौर्यलोक स्थित टैक्ट काउंटर का निरीक्षण डाक विभाग के अधिकारियों ने किया। निरीक्षण रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 13.8.2016)

एलपीजी लीकेज हो तो डायल करें 1906

अगर आपके घर का रसोई गैस सिलिंडर लीक करने लगे तो फौरन 1906 नंबर डायल करें। आपकी समस्या अति शीघ्र दूर होगी। पूर्व की अपेक्षा इस प्रक्रिया को और चुस्त कर दिया गया है।

• अब एसएमएस के बाद फोन से भी होने लगी है मॉनीटरिंग • रात में भी उपभोक्ता ले सकते हैं इस सेवा का लाभ। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 1.8.2016)**

अब लैंड डेवलपर को देना होगा पाँच फीसद टैक्स

राज्य में पहली बार लैंड डेवलपर को भी टैक्स के टायरे में लाया गया है। अब उन्हें पाँच फीसद तक टैक्स चुकाना होगा। खाता-बही का हिसाब नहीं देने वाले लैंड डेवलपर पर 10 फीसद टैक्स लगेगा। **(विस्तृत : दैनिक जागरज, 3.8.2016)**

कारखाना संशोधन विधेयक को लोकसभा की मंजूरी

लोकसभा ने कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जिसमें कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की ओवरटाइम की अवधि को 50 से बढ़ाकर 100 घंटे करने का प्रावधान किया गया है और यह स्वैच्छिक होगा। सरकार ने कुछ दलों के ऐतराज के बावजूद लोकसभा में विधेयक पेश किया।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने सदन में कहा कि विधेयक में उपबंध 64 और 65 में संशोधन के साथ ओवरटाइम बढ़ाने का प्रावधान अनिवार्य नहीं है और स्वैच्छिक है।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 11.8.2016)

PT.GPO/R-10/NP-15/2014-2016 — R. N. 4211/62

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं

2 August
Shri O. P. Sah
M/s Sree Behariji Mills Ltd.

2 August
Shri Hanuman Kothari
M/s Suman Corporation

05 August
Shri Gopi K. Golwara
M/s Ganga Prasad Jagarnath Prasad

05 August
Shri Shashi Mohan
M/s Shree Narayani Sales Corporation

05 August
Shri Mahesh Bahroos
M/s Govinds

07 August
Shri Nilratan Maskara
M/s Maskara & Company

10 August
Shri Rajiv Agrawal
M/s Shewnarain Lal & Sons

15 August
Shri P. K. Agrawal
M/s P. Agrawal & Co.

15 August
Shri Parshu Ram Purbey
Basopatti Chamber of Commerce

15 August
Shri Raj Kr. Gutgutia
M/s Rabi Sales & Agencies

17 August
Shri Amit Hissaria
M/s Janki Pharmaceuticals

17 August
Shri Ravindra Nath
M/s Askara Marketing Services

19 August
Shri Mukesh Kr. Jain
M/s The Big Shop

21 August
Shri Aggarwal Saurabh
M/s Bombay Hardware Stores

21 August
Shri Navneet Kr. Dhandhania
M/s Dhruv Electricals

23 August
Shri Vinay Goenka
M/s Green Ply Industries Ltd.

28 August
Shri Dip Narayan Srivastava
M/s Jay Enterprises

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे भी अपना जन्मदिन रंगीन फोटो के साथ हमें भेजने की कृपा करें ताकि उनका जन्मदिन भी समयानुसार बुलेटिन में प्रकाशित कर शुभकामनाएं दी जा सके।
– शशि मोहन, महामंत्री

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

आदेश

अधिसूचना सं. 3290 दिनांक 29.8.2016 बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 24 की उप धारा (6) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के अनेक जिलों में बाढ़ की स्थिति बने रहने के कारण विवरणियों के दाखिला में होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिक विवरणी एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-6083 दिनांक-29.8.2012 के साथ उपाबद्ध तालिका के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट तिथि दिनांक - 30.9.2016 तक विस्तारित की जाती है।

भविष्य में दाखिल होने वाली विवरणियों हेतु पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-6083 दिनांक- 29.8.2012 यथावत् प्रभावी रहेगी।

ह०/-
(सुजाता चतुर्वेदी)
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
बिहार, पटना।

विनम्र निवेदन

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अधिकांश सदस्यों ने सदस्यता शुल्क का भुगतान कर दिया है। जो सदस्य अभी तक अपना सदस्यता शुल्क नहीं भेज पाये हैं, उनसे साग्रह निवेदन है कि सदस्यता शुल्क यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें।

इस संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार ने सेवा-कर की दर को निम्नानुसार परिवर्त्तित कर दिया है जो दिनांक 1 जून 2016 से प्रभावी है :-

सेवा-कर	**– 14%**
स्वच्छ भारत सेस	**– 0.5%**
कृषि कल्याण सेस	**– 0.5%**
कुल	**15%**

अतः सदस्यों से आग्रह है कि वे कृपया सेवा-कर की परिवर्त्तित दर के अनुसार ही अपने सदस्यता शुल्क का भुगतान करने की कृपा करेंगे।

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph. : 2667296